प्रतिवेदन क्रमांक

शासकीय उपयोग हेतु

दोरला जनजाति का नृजातीय अध्ययन

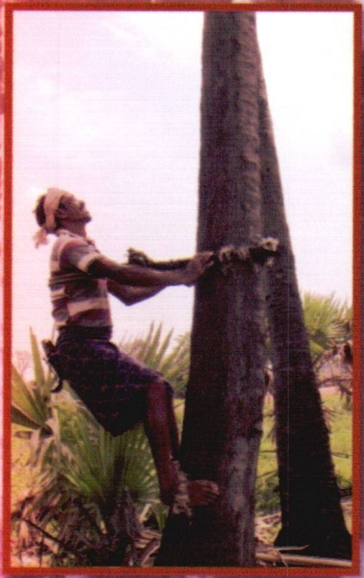

मार्गदर्शन : आशीष कुमार भट्ट आई.एफ.एस.

निर्देशन : एम. एल. पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ. राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.)

प्रतिवेदन क्रमांक

शासकीय उपयोग हेतु

दोरला जनजाति का नृजातीय अध्ययन

वर्ष 2015—16

मार्गदर्शन : श्री.आशीष कुमार भट्ट आई.एफ.एस

निर्देशन : श्री.एम. एल. पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ.राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,रायपुर (छ.ग.)

//विषय सूची//

	पृष्ठ
अध्याय – 1 पृष्ठभूमि	1
अध्याय – 2 शैक्षणिक स्थिति	6
अध्याय – 3 भौतिक संस्कृति	10
अध्याय – 4 जीवन संस्कार	20
अध्याय – 5 सामाजिक संरचना	30
अध्याय – 6 आर्थिक जीवन	42
अध्याय – 7 धार्मिक जीवन	52
अध्याय – 8 परिवर्तन एवं समस्याएँ	60
अध्याय – 9 निष्कर्ष	66

अध्याय–1

पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत (2011) भाग सदियों से शहरी तथा ग्रामीण समाज से दूर घने जंगलों, पर्वतों, घाटियों तथा दूरस्थ अंचल में निवास करता है। इनकी विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति शहरी तथा ग्रामीण समाज से भिन्न है। अन्य समाज इन्हें निवास क्षेत्र तथा संस्कृति के आधार पर वनवासी, वन्य जाति, देशज, आदिम जनजाति, आदिवासी, नेटिव आदि नामों से पहचान करता है। जबकि इन समुदायों का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का 31.76 प्रतिशत (2011) अनुसूचित जनजाति का है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78.23 लाख तथा साक्षरता दर 59.1 प्रतिशत है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में गोंड जनजाति अनुक्रमांक 16 पर अंकित है। गोंड जनजाति मध्य भारत क्षेत्र में निवासरत सबसे बड़ी जनजाति है। दोरला जनजाति गोंड जनजाति की उपजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जनजाति की जनसंख्या 42.98 लाख तथा साक्षरता दर 56.7 प्रतिशत है।

1.2. दोरला जनजाति : उत्पत्ति, परिचय एवं निवास क्षेत्र

दोरला जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। दोरला जनजाति, गोंड (कोयतोर) जनजाति की उपजाति है। दोरला जनजाति स्वयं को 'कोया' मानते है। रियासत काल में 'कोया' जाति समुदाय के मुखिया को 'दोरा' कहते थे, इसी से कोया जनजाति के समूह को 'दोरा कोया' कहने लगे, जो कालांतर में जाति सूचक नाम 'दोरला' में परिवर्तित हो गया। कोंटा क्षेत्र में दोरला जनजाति को 'दोर्रा कोया' या 'दोर्रा कोयर' कहते है जबकि बीजापुर क्षेत्र में 'कोया' या 'कोयर' के नाम से जाना जाता है।

सर डब्ल्यू. वी. ग्रिगसन(1938) के ग्रंथ "माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर" के अनुसार 'दोरला' शब्द की व्युत्पत्ति 'दोर कोयतोर' से हुई है। दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश के

सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। दोरला जनजाति की संस्कृति में तेलंगाना प्रदेश की संस्कृति का अधिक प्रभाव तथा उड़ीसा राज्य की संस्कृति का अल्प प्रभाव दिखाई देता है।

दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित सुकमा जिले के दक्षिण भाग तथा बीजापुर जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में निवास करती है अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण–पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र में दोरला जनजाति बीजापुर जिले के भोपाल पटनम तहसील से सुकमा जिले के कोंटा तहसील तक निवास करती है।

1.3 अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं :–

1. दोरला जनजाति का नृजातीय (सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. दोरला जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. दोरला जनजाति में परिवर्तन, अन्य संस्कृति का प्रभाव तथा समस्याओं का अध्ययन करना।

1.4 अध्ययन प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा तथा बीजापुर जिले के दोरला जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। दोरला जनजाति बहुल बीजापुर जिले के बीजापुर तहसील के चिन्नाकवाली ग्राम का चयन कर जनगणना विधि से दोरला जनजाति परिवारों से परिवार अनुसूची पूर्ण किया गया। सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का संकलन हेतु सुकमा तथा बीजापुर जिले के दोरला जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। सुकमा जिले के कोंटा तहसील के इंजरम व एर्राबोर ग्राम तथा बीजापुर जिले के बीजापुर तहसील के चिन्नाकवाली व बोरजे ग्राम कुल चार ग्रामों में निवासरत दोरला व्यक्तियों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, वंशावली तथा अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। परिवारिक सूचनाओं के संकलन हेतु परिवार अनुसूची तथा सामुदायिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया। डिजिटल कैमरा के माध्यम से दोरला जनजाति के भौतिक संस्कृति तथा अन्य पक्षों का फोटोग्राफी किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथो, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का संपादन, विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

1.5. बोली

दोरला जनजाति के सदस्य दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। दोरली बोली दक्षिण केन्द्रीय द्रविड़ या गोंड बोली का उप–समूह है। दोरली बोली का प्रयोग छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के दक्षिण भाग तथा बीजापुर जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में निवासरत दोरला तथा आंध्रप्रदेश के कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। दोरली बोली पर तेलुगू भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है।

1.6. जनसंख्या

दोरला जनजाति की वर्तमान जनसंख्या अनुपलब्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में गोंड जनजाति तथा उसकी 42 उपजातियों की जनसंख्या संयुक्त रूप से उपलब्ध है। दोरला जनजाति की पृथक जनसंख्या 1941 के जनगणना में उपलब्ध है, जिसके अनुसार संपूर्ण बस्तर क्षेत्र में दोरला जनजाति की जनसंख्या 14605 थी जिसमें कोंटा तहसील में 7542 तथा बीजापुर तहसील में 7063 थी। 1941 के जनगणना के पश्चात दोरला जनजाति की जनसंख्या अस्पष्ट है। यदि दोरला जनजाति के जनसंख्या के औसत दशकीय वृद्धि दर 15 प्रतिशत माना जाय तो इस आंकलन के अनुसार 1941–2011 तक सात जनगणना के आधार पर वर्तमान में दोरला जनजाति की अनुमानित जनसंख्या लगभग 39000 होगी।

1.7. सर्वेक्षित जनसंख्या

दोरला जनजाति बहुल बीजापुर जिले के बीजापुर तहसील के चिन्नाकवाली ग्राम का चयन कर जनगणना विधि से दोरला जनजाति परिवारों से परिवार अनुसूची पूर्ण किया गया। सर्वेक्षित दोरला जनजाति के परिवारों की जनसंख्या सारणी क्रं0 1.1 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रं0 1.1

सर्वेक्षित दोरला परिवारों की जनसंख्या

क्रमांक	व्यक्ति	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरूष	122	47.84
2.	स्त्री	133	52.16
योग		255	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या में से 47.84 प्रतिशत पुरूष तथा 52.16 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है।

1.8. उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या

किसी भी समुदाय की लिंग–आयुवार जनसंख्या का विवरण जनसंख्या की विशेषता तथा वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। सर्वेक्षित दोरला परिवारों में उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या का विवरण सारणी क्रं0 1.2 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रं0 1.2

सर्वेक्षित परिवारों में उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या विवरण

क्रमांक	उम्र वर्ग (वर्ष में)	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0 – 5	11	9.02	14	10.53	25	9.80
2.	6 – 14	33	27.05	30	22.56	63	24.71
3.	15 – 21	19	15.56	22	16.54	41	16.08
4.	22 – 35	28	22.96	30	22.56	58	22.75
5.	36 – 50	20	16.39	24	18.04	44	17.25
6.	51 – 60	7	5.74	9	6.76	16	6.27
7.	60 से अधिक	4	3.28	4	3.01	8	3.14
योग		122	100	133	100	255	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 24.71 प्रतिशत जनसंख्या 6–14 उम्र वर्ग के हैं जबकि न्यूनतम 3.14 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र समूह के हैं। 0–5 उम्र वर्ग में 9.80 प्रतिशत जनसंख्या, 15–21 उम्र वर्ग में 16.08 प्रतिशत, 22–35 उम्र वर्ग में 22.75 प्रतिशत जनसंख्या 36–50 उम्र वर्ग में 17.25 प्रतिशत जनसंख्या तथा 51–60 उम्र वर्ग में 3.14 प्रतिशत जनसंख्या पाया गया।

पुरूषों की जनसंख्या में सर्वाधिक 27.05 प्रतिशत जनसंख्या 6–14 उम्र वर्ग में तथा न्यूनतम 3.28 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र में पाया गया। स्त्रियों में सर्वाधिक 22.56–22.56 प्रतिशत जनसंख्या 6–14 एव 22–35 उम्र वर्ग में पाया गया जबकि न्यूनतम 3.01 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र में पाया गया।

1.9. लिंगानुपात

लिंगानुपात, किसी भी जनसंख्या में स्त्री–पुरूष के अनुपात को स्पष्ट करता है। सर्वेक्षित दोरला जनजाति परिवारों में लिंगानुपात अर्थात् प्रति हजार पुरूषों पर 1090 महिलायें पायी गयीं। यह लिंगानुपात राष्ट्र तथा छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या के लिंगानुपात से अधिक है।

****

अध्याय–2

शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा, मानव को सुसंस्कृत, योग्य, जिम्मेदार तथा जागरूक करने का साधन है। आदिकाल से संसार के सभी समाजों में अपने नागरिकों को शिक्षित करने की भिन्न–भिन्न प्रविधि प्रचलित रही है। भारतीय समाज में आदिकाल से गुरूकुल तथा आश्रम शिक्षा पद्धति प्रचलित रही है। आदिवासी समाज, वनों, नदी–घाटियों में स्वतंत्र निवास करने के दौरान अपनी पृथक शिक्षा पद्धति का विकास किया है। आदिवासी समाज में परंपरागत रुप से अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय द्वारा प्रदत्त रही है, जिसका उद्देश्य समाज हेतु योग्य नागरिक का विकास करना है। भारत की स्वतंत्रता पश्चात् आदिवासी समाज के विकास हेतु शिक्षा को मुख्य आधार मानकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास का प्रयास जारी हैं, जिससे आदिवासी समाज की शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन तथा विकास हो रहा है ।

दोरला जनजाति की अधिकांश जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, पहुच विहीन तथा अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करती है। इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति निम्न रही है। सुरक्षा बलों द्वारा स्कूल भवनों का उपयोग किये जाने के कारण अनेक पक्के शैक्षणिक भवनों को नक्सलियों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। नक्सलियों के विरूद्ध 'सलवा जुडुम अभियान' के पश्चात हुई हिंसा के कारण अनेक स्कूलों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया अथवा हिंसा प्रभावित क्षेत्र के बच्चों की सुरक्षा तथा उचित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्य मार्ग के समीप 'पोटा केबिन' के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया गया। शासन के निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है।

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है–

2.1. साक्षरता की स्थिति

सारणी क्रं.– 2.1

साक्षरता की स्थिति

क्रमांक	स्थिति	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	0–5	11	9.02	14	10.53	25	9.80
2.	साक्षर	81	66.39	58	43.61	139	54.51
3.	निरक्षर	30	24.59	61	45.86	91	35.69
योग		122	100.00	133	100.00	255	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 54.51 प्रतिशत है। सर्वेक्षित परिवारों में 35.69 प्रतिशत सदस्य निरक्षर हैं तथा 9.80 प्रतिशत सदस्य 0–5 वर्ष के अंतर्गत हैं। पुरूषों में 66.39 प्रतिशत साक्षर तथा 24.59 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये जबकि स्त्रियों में 43.61 प्रतिशत साक्षर तथा 45.86 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि स्त्रियों की साक्षरता दर की तुलना में पुरूषों की साक्षरता दर डेढ़ गुनी अधिक है।

2.2. शैक्षणिक स्थिति

दोरला परिवारों में शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से साक्षर सदस्यों की स्थिति का समग्र आंकलन किया जा सकता है, जिसे सारणी क्रं.–2.2 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रं.–2.2

शैक्षणिक स्थिति(अध्ययन जारी व समाप्त)

क्रमांक	स्थिति	पुरूष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	अध्ययन जारी	34	30.63	28	23.53	62	26.96
2	अध्ययन समाप्त	47	42.34	30	25.21	77	33.48
3	निरक्षर	30	27.03	61	51.26	91	39.56
योग		111	100.00	119	100.00	230	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है सर्वेक्षित परिवारों में 26.96 प्रतिशत सदस्यों का अध्ययन जारी है तथा 33.48 प्रतिशत सदस्य शैक्षणिक सुविधा का अभाव, अनुत्तीर्ण होने, अरूचि, पारिवारिक आदि कारणों से अध्ययन छोड़ चुके हैं। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि 30.63 प्रतिशत पुरूषों की शिक्षा जारी है तथा 42.34 प्रतिशत पुरूष शिक्षा छोड़ चुके हैं। स्त्रियों में 23.53 प्रतिशत स्त्रियाँ शाला गामी है तथा 25.21 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षा छोड़ चुकी हैं। उपरोक्त तालिका में 0–5 वर्ष के बालक–बालिकाओं को सम्मिलित नही किया गया है।

2.3. शिक्षा का स्तर

दोरला परिवारों में साक्षर सदस्यों का शैक्षणिक स्तर तथा अध्ययन के जारी व समाप्त के आधार पर विवरण सारणी क्रं0 2.3 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रं.–2.3

शिक्षा का स्तर (जारी एवं समाप्त)

क्र	शैक्षणिक स्तर	अध्ययन									
		जारी				समाप्त				योग	
		पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	पुरूष	प्रतिशत	स्त्री	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	प्राथमिक	20	58.83	16	57.15	19	40.43	15	50.00	70	50.35
2.	माध्यमिक	9	26.47	7	25.00	16	34.04	10	33.33	42	30.22
3.	हाईस्कूल	2	5.88	3	10.71	8	17.02	5	16.67	18	12.95
4.	हायर सेके.	2	5.88	2	7.14	4	8.51	0	0	8	5.76
5.	स्नातक	1	2.94	0	0	0	0	0	0	1	0.72
6.	स्नातकोत्तर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
योग		34	100.00	28	100.00	47	100.00	30	100.00	139	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 50.35 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक, 30.22 प्रतिशत सदस्य माध्यमिक, 12.95 प्रतिशत सदस्य हाईस्कूल, 5.76 प्रतिशत सदस्य हायर सेकेण्डरी एवं न्यूनतम 0.72 प्रतिशत सदस्य स्नातक तक शिक्षित है। स्पष्ट है कि दोरला जनजाति परिवारों के 80.57 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं।

2.4. शालागामी उम्र (6–14वर्ष) में शिक्षा की स्थिति

दोरला परिवारों में शालागामी उम्र में साक्षरता दर को सारणी क्रं0 2.4 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रं.–2.4

शालागामी उम्र (6–14वर्ष) में शिक्षा की स्थिति

क्रमांक	स्थिति	बालक		बालिका		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	साक्षर	33	100.00	25	83.33	58	92.06
2	निरक्षर	0	0	5	16.67	5	7.94
योग		33	100.00	30	100.00	63	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शालागामी उम्र में दोरला जनजाति में साक्षरता दर 92.06 प्रतिशत है। जिसमें पुरूष साक्षरता दर शत प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 92.06 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि शालागामी उम्र में बालक एवं बालिका साक्षरता दर में कम अंतर है। इस आयु वर्ग में निरक्षरता 7.94 प्रतिशत है। वर्तमान में देश में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु अनेक शासकीय कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों में शालागामी उम्र में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।

****

अध्याय–3
भौतिक संस्कृति

दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित सुकमा तथा बीजापुर जिले के गहन वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। सुकमा जिला के दोरला निवास क्षेत्र में वातावरण तथा सीमावर्ती तेलंगाना, आंध्रप्रदेश तथा उड़ीसा राज्य की समीपता तथा आपसी संपर्क का प्रभाव उनके भौतिक संस्कृति में दिखाई देता है। दोरला जनजाति के भौतिक संस्कृति में पर्यावरण, सांस्कृतिक संपर्क तथा वर्तमान परिस्थितियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। दोरला जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है–

3.1. ग्राम

दोरला जनजाति के ग्राम सामान्यतः नदी–नाला एवं वन के समीप बसा होता है। दोरला जनजाति के सदस्य ग्राम में मुरिया, परधान, हलबा, गोंड, माहरा, राउत, लोहार आदि जाति–जनजाति के साथ निवास करते हैं, किन्तु इनके मुहल्ले पृथक हैं।

दोरला ग्रामों की बनावट दीर्घवृत्तीय या मुख्यमार्ग के दोनों ओर चौकोर आकार मे है, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है, जिससे कई गलियां मुहल्लों में जाती है। गलियों के दोनों ओर मकान बसे होते हैं। दोरला ग्रामों में आम, इमली, साल, महुआ, बरगद, पीपल, नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं। वर्तमान में नक्सलियों के विरूद्ध सलवा जुडुम अभियान के कारण अनेक दोरला जनजाति के ग्रामों को अपने मूल स्थानों से विस्थापित होकर सलवा जुडुम कैम्प में निवास करना पड़ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित कैम्प स्थायी बसाहट का स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं।

ग्राम के मध्य या मुख्य स्थल में बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पूर्व में दोरला जनजाति के सदस्य लकड़ी से निर्मित कुंआ, डोढ़ी, नदी–नाले का पानी पीते थे, वर्तमान में हैण्डपम्प एवं नल (पाईप लाइन) के जल का उपयोग करने लगे है।

3.2. आवास

दोरला जनजाति में पिरामिडाकार तथा सामान्य प्रकार के आवास पाये जाते हैं। पिरामिड आकार के आवास चारों ओर से लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी से घिरा होता है। दोरला जनजाति के कुछ परिवारों का आवास पिरामिड के आकार का होता है, यह आवास पर्यावरण तथा उपयोगिता दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं अर्थात दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में अधिक गर्मी पड़ती है, ऐसी स्थिति में ढ़ाबा आवास को शीतलता प्रदान करता है तथा ढ़ाबा अनाज व अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के उपयोग में लाया जाता है।

दोरला आवास में सामने की ओर आंगन होता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में 'कोर्रा' (पशु शाला) तथा 'चेली कोटरली' (बकरी रखने का कक्ष) होता है। आंगन में ही कुकड़ा कोंटी (मुर्गा–मुर्गी रखने का स्थान), बरिया गुड़ा (सूअर रखने का स्थान) होता है। दोरला आवास में निम्न कक्ष होते हैं–

3.2.1. अरगी (बरामदा)

दोरला जनजाति के आवास में आंगन से घर में प्रवेश करने पर प्रथम कक्ष 'परछी' होता है, यह लम्बा होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में मुर्गी, सामान आदि रखते हैं तथा दूसरे भाग में बैठक तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थान होता है। इससे लगा दो कमरा होता है।

अ. प्रथम कमरा – इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में भंडारण हेतु एक धान कोठी तथा दूसरे भाग में देवी–देवता का चबूतरा होता है।

ब. द्वितीय कमरा – यह रसोई कक्ष होने के साथ–साथ कपड़े व अन्य सामान रखने का कमरा होता हैं। इस कमरे को 'ओजेल' कहते हैं। इसे दो भागों में विभक्त होता है। एक भाग में चूल्हा तथा खाद्यान्नों को रखा जाता है। 'ओजेल' के दूसरे भाग को पिल गेद्द कहा जाता है। इस भाग में बर्तन, पीने का पानी व अन्य सामानों को भंडारित किया जाता है।

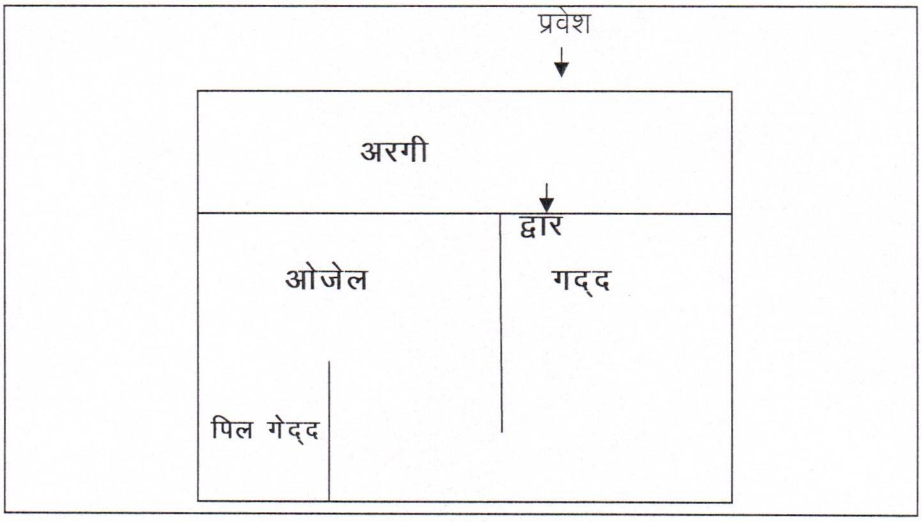

सुकमा जिले के दोरला जनजाति का आवास का रेखाचित्र

3.2.2. आवास निर्माण – आवास निर्माण की निम्न प्रक्रिया है –

अ. भूमि चयन – दोरला जनजाति के सदस्य आवास निर्माण हेतु पानी, आवागमन तथा बाड़ी हेतु पर्याप्त जगह देखकर घर बनाने हेतु स्थल चयन करते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार आवास बनाया जाता है। नक्सल हिंसा पीड़ित परिवारों को अंदरूनी ग्रामों से विस्थापित कर मुख्य मार्ग के किनारे शिविरों में बसाया गया है। जिसमें बसने वाले दोरला जनजाति परिवारों ने अपने आवास के मूल स्वरूप को बनाये रखा है, कुछ परिवारों के आवास सामान्य प्रकार के दो ढाल की छत वाले आवास हैं।

ब. निर्माण – आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व परिवार का मुखिया सिरहा या पुजारी की सहायता से घर के ईष्ट देवता एवं भूमि की चॉवल, नारियल, लाली आदि पूजन सामग्री से पूजा करता है। दोरला जनजाति के आवास का मुख्य द्वार दक्षिण या उत्तर दिशा में बनाते हैं। आवास में प्रवेश एवं निकास के लिये एक ही द्वार होता है।

दोरला जनजाति के पिरामिड आकार के आवास सामान्यतः यह 18 खंबों पर निर्मित होता है। जिसमें से बारह खंबे बाहरी दीवार में होते हैं तथा छह खंबे अंदर में लगाया जाता है। अंदरूनी छह खंबों में के ऊपर लकड़ी की बल्लियों या ताड़ वृक्ष के तने को लंबाई में दो भागों में फाड़कर पटाव बनाया जाता है तथा मध्य में 2.5 फीट लंबा व 2.5 फीट चौड़ा चौकोर आकार का द्वार छोड़ दिया जाता है, जिसमें सीढ़ी से चढ़ कर आवश्यक सामग्रियों को रखा जाता है।

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर रस्सी एवं फावड़े की सहायता से निशान चिन्हित कर लिया जाता है तथा मोटे खंबे गड़ाने के स्थान पर गड्ढे खोदा जाता है इसके पश्चात् लकड़ी के छह खंबे को निश्चित अंतराल में कतारबद्ध गाड़कर अंदर के कमरों का चौकोर स्वरूप देते हैं। एक सीध के तीन खंबे के उपर बने खांचे में चौकोर पाटी रखते हैं व इसके उपर लकड़ी की बल्लियों या ताड़ वृक्ष के तने से पटाव बनाया जाता है इसके पश्चात बाहरी चारों भाग में लकड़ी के बारह खंबों को गड़ाया जाता है। इसके बाद पटाव के मध्य की लकड़ी में छेद कर निश्चित अंतराल में दो लगभग पॉच फीट के खंबे लगाते हैं, यह छत के मध्य की लकड़ी के आधार का कार्य करता है। इसके पश्चात् बाहरी बारह खंबों से छत के मध्य की आधार लकड़ी तक चारों ओर बल्लियॉ लगाकर छत बनाते हैं व इसके उपर बांस की पट्टियों को रस्सियों की सहायता से नीचे से उपर तक बांधा जाता है। इस छत के उपर ताड़ के पत्तों या टाईल्स लगा दिया जाता है। आवास की मूल संरचना तैयार होने के उपरांत दीवार बनाने हेतु खंबे की सीध में गड्ढे खोद कर सूखी झाड़ियों के तने या बांस की बाड़ बनाकर गाड़ दिया जाता है तथा इस पर गीली मिट्टी लगाकर दीवार बना दिया जाता है, आवश्यकतानुसार दरवाजे तथा खिड़कियों के चौखट लगाया जाता है तथा सतह पर इच्छित ऊँचाई तक मिट्टी भरकर गोबर लीपकर फर्श बना लिया जाता है। दीवार को गोबर या मिट्टी के घोल से पुताई किया जाता है। कुछ आवासों में छुई मिट्टी के घोल बनाकर हाथों से सजावट करते हैं।

स. सजावट – आवास की आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु मिट्टी, गोबर एवं दीवार की पुताई हेतु छुई मिट्टी, गेरू मिट्टी एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आवास की आंतरिक सज्जा हेतु आला के चारों ओर काले रंग की चौड़ी पट्टी होती है, दीवार से फर्श के किनारे तक सफेद, काले–नीले रंग की पुताई किया जाता है व फर्श पर गोबर लीप कर किनारे पर पट्टी बनाकर आंतरिक सज्जा किया जाता है। बाह्य दीवारों पर मिट्टी की छपाई कर चूना के घोल को हाथों से सजावटी आकृतियॉ बनाया जाता है।

द. गृह–प्रवेश – आवास निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पुजारी से सलाह लेकर गृह प्रवेश करते हैं। पुजारी घर के भीतरी कक्ष में पूर्वज, गोत्र देव तथा देवी–देवता की पूजा करवाता है और बलि देता हैं। पूजा के उपरांत सभी आमंत्रितों को भोज कराते हैं एवं नये घर में रहने लगते हैं।

वर्षाकाल में आवास की बाहरी दीवार, नीचे की मिट्टी, रंग खराब हो जाता है, जिसे त्यौहार तथा विवाह से पूर्व या शीत ऋतु में मरम्मत कर रंग–रोगन किया जाता है।

इ. स्वच्छता एवं सफाई – घर की दैनिक एवं विशिष्ट अवसरों पर साफ–सफाई किया जाता है। प्रातः स्त्रियॉ आंगन को झाड़ू से बुहारती हैं तथा गोबर व पानी के घोल को ऑगन में लीपती

हैं। घर को दिन में दो बार सुबह व शाम बुहारते हैं तथा साप्ताहिक गोबर पानी के घोल से लीपते हैं। पशुशाला के गोबर को घर से थोड़ी दूर में बने गोबर गड्ढे में फेंककर झाड़ू बुहार कर साफ करते हैं। यह गोबर बाद में कृषि कार्य में खाद के लिये उपयोग करते हैं।

3.3. व्यक्तिगत स्वच्छता एवं श्रृंगार

दोरला जनजाति के सदस्य प्रातः काल शौच जाते हैं। शौच घर से दूर मैदान या वन में जाते हैं। शौच के पश्चात् पानी से अंगों को साफ कर हाथों की सफाई मिट्टी से करते हैं, कुछ परिवार राख, साबुन का उपयोग कर रहे हैं।

शौच जाने के पूर्व या पश्चात् दातौन से दांतों की सफाई करते हैं। वर्तमान में अनेक सदस्य दाँतों की सफाई हेतु दंत मंजन, गुड़ाखू तथा ब्रश–पेस्ट का उपयोग करने लगे हैं।

प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् दोरला पुरूष–महिला सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वे शीत ऋतु में अनियमित तथा ग्रीष्म ऋतु में नियमित रूप से दोपहर में स्नान करते हैं। वर्षाकाल में कृषि कार्य के बाद दोपहर या शाम को स्नान करते हैं। नहाते समय शरीर की सफाई हेतु साबुन तथा बालों को धोने के लिये काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। पूर्व में वर्षाकाल में खेत में होने वाले पौधे से सिर धोते थे। कपड़ों को गर्म पानी और राख में उबालकर धोते हैं। वर्तमान में साबुन एवं वाशिंग पावडर का उपयोग भी करने लगे हैं। स्नान घर के समीप या नदी–नाला, तालाब, हैण्डपम्प, कुंआ आदि जल स्त्रोत में करते हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर एवं बालों में सरसों, नारियल, टोरा तेल लगाते हैं। कुछ परिवारों में काजल, टेलकम पावडर, क्रीम, लिपिस्टिक का उपयोग भी करने लगे हैं।

3.3.1. बालों तथा नाखून की सफाई

दोरला जनजाति के पुरूष सदस्य एक–दूसरे का बाल काटते हैं। पूर्व में दोरला पुरूष जूड़ा बांधते थे या लंबे बाल रखते थे, किंतु वर्तमान में छोटे बाल रखते हैं। पिता अपने बच्चों का बाल काटता है। वर्तमान में कैंची से बाल काटते हैं। बालों को छोटे रखने के कारण दो से तीन माह में बालों को काटते हैं।

पुरूष एक–दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं। पहले छूरा और वर्तमान में ब्लेड का प्रयोग करते हैं। पूर्व में माह में एक बार जबकि वर्तमान में सप्ताहिक अंतराल में दाढ़ी बनाते हैं। वर्तमान में नाई से बाल एवं दाढ़ी बनाने लगे हैं। हाथ–पैर के नाखूनों को 'कसेर' (छोटा चाकू) या ब्लेड से 10–15 दिनों के अंतराल में काटते हैं।

3.3.2. शारीरिक अंग–छेदन

दोरला जनजाति में कन्याओं का कर्ण छेदन पांच–छह वर्ष की उम्र में 'मुख कोटाना'(नाक–कान छेदना) संस्कार के द्वारा करवाया जाता है। इस संस्कार में कन्या का मामा, संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित करते हैं। सभी के समक्ष कन्या का मामा, कन्या का नाक–कान छेदता है और कन्या के माता–पिता से वचन लेता है कि इस कन्या का विवाह वह अपने पुत्र से करेगा। यह ममेरे–फूफेरे विवाह संबंध का सूचक है। इससे कन्या के माता–पिता, मामा से वचनबद्ध हो जाते हैं तथा कन्या का विवाह मामा के पुत्र से ही करते हैं या मामा की अनुमति के बिना अन्यत्र विवाह नही करते है।

3.4. आभूषण

दोरला स्त्री–पुरूष श्रृंगार, जादू–टोना से सुरक्षा व प्रतीक हेतु सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। दोरला जनजाति में आर्थिक कारणों से सोना, चॉदी के आभूषणों का उपयोग कम है। दोरला बच्चे, स्त्री–पुरूष नजर व बुरे प्रभाव से रक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज धारण करते हैं।

3.5. गोदना

दोरला जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। गोदना स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, पुरूष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम या प्रतीक का गोदना गुदवाते हैं। दोरला जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। दोरला जनजाति में मान्यता है कि गोदना ऐसा आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात् भी दूसरे लोक साथ जाता है।

दोरला जनजाति में कन्याओं को विवाह के पूर्व 12–13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। गोदना चेहरे में माथे पर मांग से दोनों भौह के मध्य तक सीधी रेखा में, बायें गाल व निचले होंठ के नीचे ठुड्डी में, बॉह व कलाईयों तथा कोहनी के नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों ओर तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियाँ का गुदना गुदवाती हैं।

वर्तमान में सामाजिक सम्पर्क तथा विकास के फलस्वरूप गोदना गुदवाने की प्रथा लुप्त होती जा रही है।

3.6. वस्त्र विन्यास

दोरला जनजाति में उम्र व लिंग के अनुसार धारण किये जाने वाले वस्त्रों का विवरण निम्नांकित है –

3.6.1. पुरूष

अ. बालक – दोरला जनजाति में नवजात शिशु को छठी संस्कार तक पुराने कपड़े के टुकड़े में लपेटा जाता है। छठी के दिन से नये कपड़े पहनाया जाता है। पूर्व में दो वर्ष की उम्र से कमर में ''लेंगटी'' (लंगोट) पहनाया जाता था, वर्तमान में चड्डी, पेंट एवं शर्ट पहनाते हैं। शाला में प्रवेश के उम्र से शर्ट, पैंट पहनते हैं। पूर्व में किशोरावस्था में धोती, लुंगी, बनियान पहनते थे, वर्तमान में शर्ट, टी–शर्ट, चड्डी, हाफ एवं फूल पेंट, लुंगी, बनियान पहनते हैं।

ब. वयस्क – वयस्क दोरला पुरूष चड्डी, अंगोछी (धोती), लुंगी, बनियान, कमीज पहनते हैं तथा सिर पर 'पटका' या 'गमछा' बांधते हैं। वर्तमान में कुछ पुरूष सदस्य जींस, टी–शर्ट, चड्डी, हाफ एवं फूल पेंट, लोअर, लंबे हाफ पेंट आदि आधुनिक वस्त्र भी पहनने लगे हैं।

स. वृद्ध – वृद्ध पुरूष कमर से घुटने तक अंगोछी (धोती), लुंगी एवं शरीर के ऊपरी भाग में बनियान पहनते है तथा सिर पर साफा बांधते हैं।

3.6.2. स्त्री

अ. बालिका – नवजात बालिका को छठी तक पुराने कपड़े में लपेटा जाता है। छठी के पश्चात् दो वर्ष तक 'गज्जी'(झबला), फ्राक एवं चड्डी पहनाते है। स्कूल प्रवेश की उम्र से कमीज, स्कर्ट, फ्राक एवं चड्डी पहनती है तथा किशोरी बालिकायें सलवार कुर्ता, स्कर्ट कमीज, टू पीस पहनती है जबकि अन्य बालिकायें साड़ी पहनती हैं।

ब. वयस्क – वयस्क स्त्रियाँ पूरी लम्बाई की साड़ी–ब्लाउज, पेटीकोट पहनती है।

स. वृद्धा – वृद्धा घुटने से नीचे तक एक ही साड़ी पहनती है।

दोरला परिवारों में नये वस्त्र विवाह एवं मुख्य त्यौहार के अवसर पर क्रय किये जाते हैं। इनके पास आर्थिक स्थिति के अनुसार 2–5 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। वैवाहिक या विशेष अवसर पर वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किये जाते हैं।

3.7. घरेलू उपकरण

घरेलू उपकरण का जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इनकी सहायता से ही दैनिक जीवन सुचारू रूप से गतिमान होता है। परिवार में घरेलू उपकरण की संख्या आवश्यकता एवं संचय पर निर्भर होता है। दोरला परिवारों के रसोई में भोजन पकाने खाने हेतु मिट्टी, एल्युमिनियम, पीतल, स्टेनलेस स्टील से निर्मित होते हैं। अन्य घरेलू उपकरण में घरेलू साफ–सफाई की सामग्री,

कूटने—पीसने की सामग्री, भंडारण से संबंधित सामग्री, काटने छिलने से संबंधित सामग्री आदि पाये जाते हैं।

3.8. कृषि औजार

दोरला जनजाति परंपरागत विधि कृषि कार्य करते हैं। परिवार में हल, फावड़ा, गैती, खुरपी, हंसिया, कुदाल, सब्बल आदि कृषि औजार पाये जाते हैं। दोरला परिवार में सदस्यों की संख्या, आवश्यकता तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर कृषि औजार पाये जाते हैं। परिवार में कृषि औजार न होने पर पड़ोसी परिवार से लिया जाता है। कृषि औजार लकड़ी, लोहे से निर्मित होते हैं, जिसे स्थानीय हाट—बाजार से कय किया जाता है या ग्राम के लोहार से बनवाया जाता है। इन कृषि औजारों को निश्चित अंतराल में सुधार या धार करवाया जाता है।

3.9. मत्स्य आखेट के उपकरण

दोरला जनजाति के सदस्य नदी—नालों, खेत में तथा तालाबों में मत्स्य आखेट करते हैं। मत्स्य आखेट के प्रमुख औजार गरी—लाट, विभिन्न प्रकार के जाल, दांदर, पेलना आदि है। मत्स्य आखेट हेतु इन औजारों को बांस, नायलोन धागे, रस्सी, लोहे की सामग्री आदि से दोरला सदस्य स्वयं निर्माण करते हैं या स्थानीय हाट—बाजार से कय किया जाता है।

3.10. शिकार के उपकरण

दोरला जनजाति के सदस्य शिकार भी करते हैं, वे अपने शिकार के हथियार स्वयं बनाते हैं। वर्तमान में प्रतिबंध के कारण शिकार का प्रचलन नहीं है किन्तु धार्मिक प्रयोजन, मनोरंजन एवं फसलों की सुरक्षा हेतु गुप्त रूप से शिकार किया जाता है। वे शिकार हेतु तीर—धनुष, गुलेल, विभिन्न प्रकार के जाल आदि हथियारों से शिकार करते हैं।

3.11. संगीत के उपकरण

दोरला जनजाति में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के अवसर पर पारम्परिक वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत—संगीत—नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। इन अवसरों पर दोरला जनजाति के सदस्य ढोल, मांदर, तुड़बुड़ी, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन वाद्य यंत्रों का दोरला जनजाति के सदस्य स्वयं निर्माण करते हैं या स्थानीय बाजार से कय करते हैं।

3.12. अग्नि प्रज्ज्वलन के उपकरण

दोरला जनजाति के सदस्य आग जलाने हेतु पारंपरिक रूप से दो विधियों का प्रयोग करते हैं। प्रथम विधि में लकड़ी के चौड़े व समतल टुकड़े के बीच में लगभग 1–1$^{1/2}$ इंच गहरा गोल छेद कर उसमें सूखी घास डालते हैं तथा लगभग एक फीट लम्बी लकड़ी को दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हुए तेजी से आगे–पीछे घुमाते हैं, जिससे नीचे छेद में घर्षण के कारण आग उत्पन्न होकर सूखे घास में लग जाती है, जिसे फूँककर सुलगा लिया जाता है।

दूसरी विधि में बांस के दो सूखे टुकड़े लेकर एक को आधे हिस्से तक दो भागों में फाड़ लिया जाता है और बीच में लकड़ी फंसा देते हैं, यह अंग्रेजी के 'V' अक्षर की आकृति का दिखाई देता है। इसके दो भाग वाले हिस्से को भूमि पर रखते हैं तथा नीचे सूखा पैरा या सूखी घास रख देते हैं। दूसरे बांस से पहले बांस के दो भाग वाले हिस्से पर तेजी से रगड़ते हैं, जिससे घर्षण के कारण बांस का बुरादा एवं आग उत्पन्न होते हैं, जो नीचे रखे पैरा या सूखे घास में गिरते हैं, जिसे फूंककर सुलगा लिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियाँ समय और श्रम साध्य होने के कारण दोरला सदस्य वर्तमान में माचिस का उपयोग करते हैं।

3.13. आवागमन के साधन

दोरला जनजाति के सदस्यों के बाजार–हाट, वनोपज क्रय–विक्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं आवागमन हेतु पैदल एवं सायकल ही मुख्य साधन है। वर्तमान में कच्चे व पक्के सड़कों के विकास से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है और दोरला सदस्य मोटर सायकल, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप आदि का उपयोग आवागमन हेतु करने लगे हैं किंतु अंदरूनी क्षेत्रों में परंपरागत साधनों पर ही निर्भर हैं।

3.14. भोजन

दोरला जनजाति के सदस्य भोजन में मक्का, कोसरा, चॉवल, दाल तथा मौसमी सब्जियॉ मुख्य खाद्य पदार्थ है। दोरला जनजाति के सदस्य दिन में खेत या वन में जाने के पूर्व, दोपहर में खेत या वन से वापस आकर एवं संध्या काल में भात, पेज तथा दाल व उपलब्धता अनुसार सब्जी खाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी अनियमित रूप से बनाया जाता है। दोरला परिवारों में खाद्य तेल का कम उपयोग होता है।

3.15. मादक पदार्थ

दोरला सदस्यों द्वारा मादक पेय के रूप में शराब, ताड़ी रस, छिंद रस का उपयोग करते हैं। मादक पदार्थो का सेवन संध्या, साप्ताहिक बाजार, त्यौहार, अतिथि आगमन, धार्मिक सामाजिक आयोजन के दौरान किया जाता है। शराब पारंपरिक विधि से स्वयं बनाते हैं या क्रय करते हैं, कुछ दोरला परिवार महुआ की शराब तैयार कर बेचते भी हैं। दोरला सदस्य तम्बाकू का प्रयोग भी बहुतायत करते हैं। प्रौढ़ व वृद्धजन तम्बाकू, बीड़ी व तंबाकू पत्ती से निर्मित 'सुट्टा' बीड़ी का तथा किशोर व युवाजन तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

****

अध्याय – 4

जीवन संस्कार

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु पर एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रूचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते है। दोरला जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है–

4.1. जन्म संस्कार

4.1.1. गर्भधारण

दोरला जनजाति में 'डोकर मंदे' (मासिक चक्र) रूकने से गर्भधारण का ज्ञान होता है। दोरला जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रारंभिक पांच–छह माह तक सामान्य दैनिक कार्यो का निर्वहन करती है। गर्भकाल में स्त्री को भारी काम, पूजा सामग्रियों को छूना, कोड्डी पूजा में सम्मिलित होना, ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना निषेध होता है। यदि बाहर जाना आवश्यक होता है तो गोबर का टीका लगाते है। दोरला जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के लिये गृह देवी/देवता की पूजा करते हैं।

दोरला जनजाति में संतान हेतु पुत्र या लड़के को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुत्र, आर्थिक कार्यों में सहयोग करेगा, वंश वृद्धि करेगा तथा बुढ़ापे में देख–रेख करेगा। इस कारण दोरला जनजाति में प्रथम संतान हेतु पुत्र या लड़का की कामना करते हैं।

4.1.2. प्रसव

दोरला जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर के परछी या कमरे में होता है। प्रसव कार्य ग्राम की दो–तीन जानकार स्त्रियों 'मंतर सानी' (दाई) से करवाते हैं। अच्छे प्रसव के लिये देवी देवता को मनाते है। पूर्व में नाल काटने के लिये 'मज्जा कसेर' (दाढ़ी बनाने का चाकू) या 'कांडी' (तीर) का उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिये ब्लेड का उपयोग किया जा रहा है।

प्रसव के बाद शिशु को गरम पानी से नहलाते है। नवजात शिशु को एक या दो दिन बाद दूध पिलाते है। प्रसूता को कुल्थी, मूंग दाल की खिचडी बनाकर खिलाते है व थोड़ा गरम पानी पिलाते है।

4.1.3. छठी संस्कार तथा नामकरण

नाल झड़ने के बाद छठी संस्कार करते है। इसे 'पुरूड' कहते है। इस दिन सुबह मंतर सानी'(दाई) को 'निपस्पो' (हल्दी–तेल) देते है, जिसे 'मंतर सानी'(दाई) प्रसूता को लगाती है, बाद में प्रसूता 'मंतर सानी'(दाई) को लगाती है। परिवार के सभी सदस्य हल्दी–तेल लगाकर नहाते हैं, इसे शुद्ध होना मानते है। इसके बाद गोबर का दिया व बांस के सुपा में भोजन के साथ नाल को छत में रखते है तथा दूसरे दिन नाल में हल्दी लगाकर छोटे कपड़े में बांधकर घर के अंदर छत की 'कांडा पाटी' (बल्ली) में बांध देते हैं या घर के प्रवेश द्वार के नीचे गाड़ देते है। प्रसूता छठी संस्कार के बाद ही रसोई में प्रवेश करती है। नवजात शिशु का पिता को छठी संस्कार के पूर्व ग्राम देवी या देवता के पूजा में सम्मिलित होना निषेध होता है।

छठी संस्कार के दिन ग्रामवासियो की आमंत्रित कर भोज देते है। शाम को बच्चे का नामकरण दादी/नानी या बुजुर्ग महिलाओं द्वारा गाना गाते हुए किया जाता है। आमंत्रित जन शिशु को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। इसके बाद सभी आमंत्रित जनों को शराब व भोज कराते हैं। दोरला जनजाति के कई परिवार आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण छठी संस्कार एक–दो माह या अधिक दिन में करते हैं।

4.1.4. मुंडन संस्कार

दोरला जनजाति में शिशु जन्म के तीन माह के बाद मंदिर या घर में 'मुंडन संस्कार' होता है। मुंडन संस्कार में सभी ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। 'मैनो मामा' (माता का भाई) पूजा कर शिशु का मुंडन करता है। मुंडन के बाद शिशु को नहलाते हैं व नये वस्त्र पहनाते हैं। 'मैनो मामा' (माता का भाई) को वस्त्र, शराब, मुर्गा आदि भेंट स्वरूप देते है। ग्रामवासी पूजा थाली में रूपये, उपहार भेंट देते हैं। इसके बाद सभी आमंत्रित जनों को शराब व भोज कराते हैं।

4.2. बाल्यकाल का संस्कार– मुख कोटाना (नाक–कान छेदना)

दोरला जनजाति में 5–6 वर्ष की आयु की कन्या का 'मुख कोटाना'(नाक–कान छेदना) संस्कार होता है। इस संस्कार के आयोजन की तिथि में ग्रामवासियों को आमंत्रित करते हैं। सभी के समक्ष कन्या के मामा, कन्या का नाक–कान छेदते है और कन्या के माता–पिता से वचन लेते है कि इस कन्या का विवाह अपने पुत्र से करेगा। यह ममेरे–फूफेरे विवाह संबंध का सूचक है। इससे कन्या के माता–पिता,

मामा से वचनबद्ध हो जाते हैं तथा कन्या का विवाह मामा के पुत्र से ही करते हैं या मामा की अनुमति के बिना अन्यत्र विवाह नही करते है।

4.3. किशोरावस्था का संस्कार– काला गोकू

दोरला जनजाति में 12–13 वर्ष की आयु की कन्या का प्रथम मासिक चक्र आने पर 'काला गोकू' नामक संस्कार होता है। प्रथम मासिक चक्र के समय कन्या को मुख्य घर से अलग एक कक्ष में रखते है।

प्रथम मासिक चक्र के पश्चात सगे–संबंधियों को 'काला गोकू' नामक संस्कार के लिये आमंत्रित करते है। सात दिन के बाद कन्या के शुद्ध होने के दिन सगे–संबंधी आते हैं। ग्राम पुजारी, पेरमा मंडप में कन्या को नारियल पकड़ा कर पूजा करता है, इसके बाद सभी कन्या को कपड़े भेंट देते हैं। मामा का पुत्र होने पर, वह कन्या को सोने का गहना पहनाता है तथा वस्त्र, चूड़ी देता है। अपनी इच्छा सबके समक्ष कहते हुए घोषणा करता है कि इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करूंगा। इसके बाद आमंत्रित जनों को शराब पिलाते हैं व भोज देते है।

4.2. विवाह संस्कार

4.2.1. विवाह हेतु अधिमान्यता

दोरला समाज में विवाह हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। इसमें एक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु उनके मामा या फूफा के परिवार को प्राथमिकता देता है अर्थात् अपने संतान के विवाह हेतु एक व्यक्ति अपने ससुराल/साला का परिवार या बहनोई के परिवार को प्राथमिकता देता है। दोरला जनजाति में यदि अन्यत्र विवाह करना हो तो ममेरे पक्ष की सहमति आवश्यक माना जाता है। ऐसे विवाह को अच्छा माना जाता है क्योंकि वैवाहिक पक्ष तथा वर/वधू पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते है, जिससे संतान का वैवाहिक जीवन सुखी होने का विश्वास होता है तथा दोनों पक्षों के आपसी सम्बन्ध भी अधिक घनिष्ठ होते हैं।

4.2.2. विवाह आयु

वर्तमान में दोरला समाज में लड़कों का विवाह 20–22 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 18–19 वर्ष की आयु में किया जाता है। पूर्व में दोरला समाज में अल्पायु मे विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् बालक का विवाह 14–15 वर्ष एवं बालिका का 10–12 वर्ष में कर दिया जाता था। इस काल में मंगनी के तीन–चार वर्ष बाद विवाह होता था।

4.2.3. विवाह के प्रकार

दोरला जनजाति में विवाह के निम्न प्रकार प्रचलित है :–

अ. एकल विवाह– दोरला समाज में एकल विवाह की संख्या अधिक है। इसमें एक समय में एक ही पुरूष–स्त्री के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर/विधवा होने के कारण दूसरे पुरूष/स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री/पुरूष से विवाह सम्बन्ध होता है।

ब. बहुपत्नी विवाह – दोरला समाज में सकारण बहुपत्नी विवाह अल्पसंख्या में प्रचलित है, जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण पलायन विवाह, विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है।

4.2.4. जीवनसाथी चयन की विधियाँ

दोरला समाज में जीवन साथी चयन की अनेक विधियॉ प्रचलित हैं। विवाह हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार किसी भी विधि से स्वयं या पुत्र/पुत्री/संबंधी हेतु जीवन साथी का चयन कर सकता है। दोरला समाज में विवाह साथी चयन की विधि का विवरण निम्नांकित है–

1. सहमति विवाह – दोरला जनजाति में सहमति विवाह में वर–वधू दोनों पक्ष सहमति से विवाह सम्बन्ध तय करते हैं। दोरला जनजाति में आपसी सहमति के आधार पर तय किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है। सहमति विवाह के विभिन्न रूपों का विवरण निम्नांकित है–

अ. छुट्टम पेनली (मंगनी विवाह)

विवाह प्रस्ताव – दोरला जनजाति ममेरे–फूफेरे विवाह का प्रचलन है। इसलिए पिता अपने पुत्र के विवाह हेतु बहिन के कन्या के 'मुख कोटाना'(नाक–कान छेदना) संस्कार में कन्या के माता–पिता से वचन लेते है कि इस कन्या का विवाह अपने पुत्र से करेगा। इससे कन्या के माता–पिता, मामा से वचनबद्ध होकर कन्या का विवाह मामा के पुत्र से ही करते हैं या मामा की अनुमति के बिना अन्यत्र विवाह नही करते है।

दोरला जनजाति में कन्या का प्रथम मासिक चक्र आने पर 'काला गोकू' संस्कार मामा का पुत्र होने पर, वह कन्या को सोने का गहना पहनाता है तथा वस्त्र, चूड़ी देता है। अपनी इच्छा सबके समक्ष कहते हुए घोषणा करता है कि इस कन्या का विवाह मेरे पुत्र से करूंगा। इसके बाद आमंत्रित जनों को शराब पिलाते हैं व भोज देते है।

पुत्र के विवाह योग्य होने पर वर का पिता अर्थात कन्या का मामा, एक स्त्री तथा एक ग्रामवासी के साथ कन्या के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाते हैं। वे घर के मुखिया से समक्ष विवाह प्रस्ताव रखते हैं व कन्या हेतु शराब देते हैं, यदि कन्या शराब पी लेती है तो माना जाता है कि कन्या विवाह हेतु सहमत है, यदि शराब को अस्वीकार कर देती है तो यह माना जाता है कि कन्या उस लड़के से विवाह हेतु सहमत नही है। ऐसी स्थिति में ग्राम के मुखिया तथा अन्य प्रमुख जनों को बुलाया जाता है। सबके आने पर कन्या की इच्छा पूछते है, यदि कन्या स्वीकृति देती है तो रिश्ता पक्का माना जाता है। कन्या के विवाह हेतु सहमत न होने पर शराब को वापस करते है तथा संबंध अस्वीकृत माना जाता है।

- **मंगनी (सगाई)**– दोरला जनजाति में सहमति विवाह में विवाह पूर्व तीन बार मंगनी होता है दोरला जनजाति में विवाह प्रस्ताव के स्वीकृति तथा विवाह के पूर्व तीन बार मंगनी का रिवाज है। दोरला जनजाति में प्रचलित मंगनी (सगाई) का विवरण निम्नांकित है–

1. अर्री उड़ानी– 'अर्री उड़ानी' मंगनी में वर के माता–पिता तथा ग्राम के एक मुखिया के साथ शराब लेकर वधू के घर जाते हैं। वधू के घर में वधू पक्ष के परिवार जन एकत्र होते हैं, सभी के एकत्र होने पर 'गुम्प छुट्टम' रस्म होता है। इसमें विवाह तय होने की 'गुम्प' खुशी में सभी एकत्रित जन शराब पीते है।

2. पेदाल छुट्टाम– अर्री उड़ानी मंगनी के एक से दो माह पश्चात पेदाल छुट्टाम मंगनी का आयोजन किया जाता है। इसमें वर के माता–पिता, ग्राम के प्रमुख जन वधू के घर जाते हैं। इसमें वर–वधू पक्ष तथा समाज के सदस्य मिलकर विवाह तिथि तय करते हैं। 'पेदाल छुट्टाम' रस्म के दिन 'खरचा' (वधू मूल्य) तय किया जाता है। इसके बाद 'अड़कोली पतनाम'(फलदान) की तिथि तय करते है।

3. अड़कोली पतनाम– विवाह के दस–पंद्रह दिन पूर्व 'अड़कोली पतनाम'(फलदान) होता है। यह रस्म वधू के घर में होता है। इसमें वर के माता–पिता, संबंधी तथा ग्रामवासी मिलकर लगभग 20–25 व्यक्ति वधू के घर जाते हैं। वधू पक्ष के लोग रहते है। इस दिन निम्न दो 'रकाम' (विधान) पर चर्चा कर निर्णय लिया जाता है कि–

1. यदि वधू पक्ष, 'खरचा' (वधू मूल्य) लेंगे तो वधू को लेकर वर के घर जायेगे वहीं कुंकुम बटूम 'बोटू वतानी' लगायेंगे और वहीं 'लगन'(विवाह) होगा।

2. यदि वधू पक्ष, 'खरचा' (वधू मूल्य) नही लेंगे तो वर पक्ष एक दिन पूर्व आकर वधू के कुंकुम बट्टूम 'बोटू वतानी' करते है तथा अगले दिन वधू के घर में 'लगन'(विवाह) करेंगे।

- **वधू मूल्य** – दोरला जनजाति के सहमति विवाह में 'खरचा' वधू मूल्य देय होता है। जो इस प्रकार होता है–

1. धान या चांवल–32 पैली

2. महुआ – 12 पैली

3. वस्त्र – मैन मामा दुप्पड़, तली छीरे, काको बट्टा (तीन वस्त्र), तीनों वस्त्र में दो, बारह तथा आठ रूपये रखते हैं। यदि वस्त्र में रूपये नही डाले जाते हैं तो मजाक स्वरूप वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष से दंड लेने की बात कहते हैं।

- **विवाह की रस्म** –

दोरला जनजाति में विवाह तीन दिन होता है। विवाह कार्यक्रम का दैनिक विवरण निम्न है–

प्रथम दिन – विवाह के प्रथम दिन दोनों पक्ष के परिवार जन पेरमा, पुजारी, सगे–संबंधियों तथा ग्रामीणजनों को विवाह में आमंत्रित करने जाते हैं।

द्वितीय दिन – द्वितीय दिन दोनों पक्ष में गायता, पेरमा मंडप के लिये पूजा करते हैं। गायता/पेरमा वन से जामुन वृक्ष की डाली लाकर मंडप में रखते हैं, इसके बाद विवाह के लिये चार कोनों में खंबा गड़ाकर उपर बल्लियों को रखा जाता है, इसके उपर महुआ तथा अन्य वृक्षों की पत्तेदार डालियों को रख दिया जाता है। इसी मंडप के नीचे विवाह की रस्म पूर्ण किया जाता है। मंडप के मध्य में महुआ की डाली गाड़ देते हैं। इसके पास महुआ लकड़ी के दो छोटे टुकड़े का आवरण साफ कर हल्दी कुकुम लगाने के बाद नये कपड़े से लपेट कर गाड़ देते हैं। इसके चारों ओर स्त्रियॉ मिट्टी छाब कर चौकोर चबूतरा बना देती हैं। शाम को दोनों पक्ष अपने–अपने घर में वर–वधू को तेल चढ़ाते हैं। इसमें वर–वधू के निकट संबंधी स्त्रियॉ जैसे– भाभी, चाची, मामी आदि तेल चढ़ाते हैं। इस रस्म में वर/वधू को मंडप में बैठाकर निकट संबंधी स्त्रियॉ हाथों में तेल लेकर पैर से लेकर सिर तक शरीर में पॉच बार छूकर तेल चढ़ाती हैं। रात को स्त्री–पुरूष सभी नाचते हैं।

तृतीय दिन – तीसरे दिन 'मांडोल गुड़ा बाटन' रस्म होता है। इसमें पॉच स्त्रियॉ मंडप के लिये मिट्टी लेने जाती हैं। ग्राम का माटी पुजारी नियत स्थान पर भूमि कर पूजा कर मिट्टी खोदता है, जिसे स्त्रियॉ अपनी साड़ी के आंचल में रख कर मंडप में लाती हैं। यह प्रकिया तीन बार दोहराया

जाता है। इसके बाद स्त्रियाँ मिट्टी को भिगोकर मंडप को लीपती हैं तथा चांवल आटा से रंगोली बनाकर विवाह स्थल को सजा देती हैं। मंडप के मध्य में चांवल आटा से फूल बनाते हैं तथा बीच में हंडी तथा दो दिया रख देते हैं।

'अड़कोली पतनाम'(फलदान) के दिन तय शर्त अनुसार विवाह होता है। यदि 'खरचा' (वधू मूल्य) देय होता है तो इस दिन वर पक्ष, वधू के गाँव की दूरी के आधार पर बारात प्रस्थान होता है। बारात में वर के पिता, संबंधी, वर के मित्र तथा ग्रामवासी आदि जाते हैं। बारात के गांव में पहुंचने पर ग्राम का सार्वजनिक भवन या स्थल में ठहराते हैं और बारात का स्वागत करते हैं। इसी स्थल पर 'खरचा' (वधू मूल्य) चुकाया जाता है।

'अड़कोली पतनाम'(फलदान) के दिन तय शर्त अनुसार यदि 'खरचा' (वधू मूल्य) अदेय होता है तो लड़की को पहुचाकर लगन करते हैं।

विवाह की रस्म– वर–वधू को मंडप में बिठाकर निकट संबंधी पुरूष–स्त्रियाँ हाथों में तेल लेकर पैर से लेकर सिर तक शरीर में पाँच बार छूकर तेल चढ़ाती हैं। सभी तेल चढ़ाने के बाद निकट संबंधी पुरूष–स्त्रियाँ दोनों को तेल चढ़ाकर उतारते है, इसके बाद नहलाते है। वर–वधू को नहलाकर तथा तैयार कर मंडप में लाते हैं। मंडप में दोनों को खड़ाकर चांवल डालते है। फिर लगन गांठ करते हैं। इसमें वर के कंधे में पहने हुए लंबे वस्त्र के छोर तथा वधू के सिर पर ढंके लंबे वस्त्र के छोर को मिला कर पैसे व हल्दी गांठ, पीले चांवल रखकर लग्न गांठ बांधते हैं, इस रस्म को 'कोगूं मुड साने' कहते है। इसके बाद अंगूठी तथा सोने या चांदी की माला वर–वधू एक दूसरे को पहनाते है।

दोरला जनजाति में विवाह की रस्म पुजारी करवाता है। 'कोगूं मुड साने' रस्म पूर्ण होने के बाद फेरे का रस्म होता है। इसमें मंडप के मध्य में चार लोटा रखकर एक में धागा बांधकर दूसरा सिरा वर/वधू के हाथ में रखकर सात फेरे लेते हैं, फेरे के बाद धागा को उपर मंडप के छत में बाँध देते है। फेरे में वधू वर के आगे चलती है। वर–वधू के अलावा चांवल डालते हुए सात अन्य लोग फेरे में चलते हैं। इसके बाद विवाह में आये संबंधी तथा ग्रामवासी वर–वधू को उपहार तथा आशीर्वाद देते हैं व भोज होता है।

विवाह के अगले दिन सुबह विदाई होता है। बारात के वर के घर वापस पहुंचने पर स्वागत किया जाता है। वर–वधू की पूजा कर घर के अंदर लाते हैं। शाम को वर पक्ष में वर–वधू को मंडप में बिठाकर 'टिकावन' रस्म किया जाता है। इस समय संबंधी व आमंत्रित जन वर–वधू को हल्दी चांवल का टीका लगाकर उपहार व आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भोज होता है।

ब. इलेटाम पेनली (परीवीक्षा विवाह)

दोरला जनजाति में घरजियां बिहा प्रचलित है। इसमें वर को एक निश्चित अवधि तक कन्या के घर में परीवीक्षा में रहना पड़ता है, परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पश्चात विवाह होता है और वर को वधू के घर में ही रहना पड़ता है। घरजियां बिहा के मुख्य दो कारण होते हैं :–

1. किसी संपन्न परिवार में इकलौती या कन्या संताने होना।
2. गरीबी के कारण सामान्य रीति से अपने पुत्र या भाई का विवाह करने में असक्षम परिवार।

उपरोक्त परिस्थितियों में घरजियां विवाह किया जा सकता है। घरजियां रखने को इच्छुक पिता समाज में योग्य वर की तलाश करता है और वर के पिता के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सहमति मिलने पर वर को अपने घर ले जाता है। वहां लड़के को पूर्व में तय समय के आधार पर 2–4 वर्ष सेवा देना पड़ता है। यदि कन्या एवं कन्या के पिता लड़के से संतुष्ट होतो है तो कन्या के घर में ही सहमति विवाह रस्म के अनुसार विवाह कर दिया जाता है।

स. लगन पेनली (परीक्षा विवाह)

दोरला जनजाति में यदि लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और उनका आपस में विवाह संभव नहीं होता है तो लड़की, लड़के के घर में जबरदस्ती प्रवेश कर लेती है तथा वर पक्ष के तिरस्कार के बाद भी वापस नही जाती है। ऐसे मामले में सामाजिक रूप से निर्णय किया जाता है और कन्या के इच्छानुसार विवाह को मान्य किया जाता है। ऐसे मामले में समाज को भोज देना पड़ता है।

द. मारपम पेनली (विनिमय विवाह)

दोरला जनजाति में दो परिवारों में विवाह योग्य लड़का–लड़की का विवाह अदला–बदली या विनिमय के द्वारा कर सकते हैं अर्थात् एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार की लड़की से किया जाता है। इसमें वधू मूल्य 'खरचा' देय नहीं होता है। शेष रस्म सहमति विवाह के समान ही होते हैं।

2. बापत पेनली (पलायन विवाह)

दोरला जनजाति में यदि युवक–युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का–लड़की की तलाश कर पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। ऐसे

मामले में लड़के के पिता को, कन्या के पिता को 'खरचा' तथा समाज को आर्थिक जुर्माना व भोज देना पड़ता है।

3. हरण विवाह– दोरला जनजाति में अल्प संख्या में हरण विवाह प्रचलन में है। यदि लड़के को कोई लड़की पसंद आती है और कन्या पक्ष विवाह के लिये राजी नही होता है या अन्य किसी कारण से कन्या पक्ष विवाह के लिये राजी नही होता है तो लड़का तथा उसके मित्र या संबंधी मिलकर बाजार या दूसरे ग्राम से कन्या का जबरदस्ती हरण कर लेते हैं। कन्या पक्ष के सदस्य कन्या की तलाश करते हैं। कन्या के मिलने पर ऐसे मामले में सामाजिक रूप से निर्णय किया जाता है और कन्या के इच्छानुसार विवाह को मान्य किया जाता है। वर पक्ष को ऐसे मामले में कन्या के पिता को अधिक 'खरचा'(वधू मूल्य) तथा समाज को आर्थिक जुर्माना व भोज देना पड़ता है।

4. कच्छिन तांडकी पेनली (पुनर्विवाह)

दोरला जनजाति में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होता है। पुनर्विवाह चूड़ी पहनाकर किया जाता है। पुनर्विवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है, स्वागत के पश्चात् वर द्वारा लायी गयी चूड़ी वधू को पहना दिया जाता है। शाम को भोजन पश्चात विदाई किया जाता है।

4.3. मृत्यु संस्कार

दोरला जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता माना जाता है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्त्रियां विलाप करती है। जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं और ग्रामवासियों तथा सभी संबंधियों को मृत्यु की सूचना देते हैं। दोरला जनजाति में मृत्यु होने पर दफनाया शव को दफनाया जाता है, कुछ शव दाह भी किया जाता है। माता के प्रकोप तथा छह वर्ष से बच्चे को दफनाया जाता है।

संबंधियों एवं ग्रामीणों के एकत्रित होने के पश्चात् विवाह संबंधी अर्थी बनाते हैं। पूर्व में शव यात्रा के लिये खाट का उपयोग करते हैं, वर्तमान में नये बांस की अर्थी बनाने लगे हैं। इसमें शव को रखकर नये वस्त्र से ढंक देते हैं। शव यात्रा के पूर्व शव को हल्दी, तेल या घी लगाते हैं। दोरला जनजाति का पृथक श्मसान होता है। शव यात्रा में स्त्री–पुरूष शामिल होते हैं। शव यात्रा के दौरान एक व्यक्ति आग तथा मिट्टी की हंडी में हल्दी मिश्रित जल लेकर साथ चलता है। श्मसान में विवाह संबंधी कब्र खोदते हैं। शव यात्रा के श्मसान पहुंचने के बाद पुजारी दफनाने की किया पूर्ण करवाता है तथा वहीं पर 'तेतर कुंडा' (मिट्टी की हंडी) में दाल–चांवल पकाता है। कब्र में शव को रखने के पश्चात

'तेतर कुंडा' तथा मृतक की पसंदीदा वस्तुयें जैसे– तंबाकू, बीड़ी, महुआ रस, चांवल, दाल आदि अर्पित करते हैं। इसके बाद मृतक/मृतका का पति/पत्नी या ज्येष्ठ पुत्र सर्वप्रथम कब्र में मिट्टी डालते हैं, उसके पश्चात परिवार के अन्य सदस्य, संबंधी व ग्रामवासी मिट्टी देते हैं तथा कब्र को मिट्टी से पूरी तरह ढंक देते हैं।यदि शव दाह करना है तो लकड़ी की चिता बनाकर उसके उपर शव रखते हैं। मृतक/मृतका का पति, पुत्र या पिता या भाई शव को अग्नि देता है। इसके बाद सभी स्नान कर वापस अपने घर जाते हैं।

4.3.1 चिन्ना बिनाल

मृत्यु के तीसरे दिन 'चिन्ना बिनाल' होता है। इस दिन 'मोट कुसोर' रस्म करते हैं। यदि शव को दफनाया गया है तो परिवार जन व संबंधी श्मसान जाकर दफनाये हुये स्थान की गोबर से लीप कर हल्दी, कुमकुम एवं रंगोली से सजाते हैं। इसके पश्चात नदी या तालाब में नहाकर घर आते हैं तथा दीपक प्रज्ज्वलित करते हैं। ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं और सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में नहाते हैं और नहाकर मृतक के घर आते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार यदि तीन दिन में ही मृतक का अंतिम संस्कार पूर्ण करना होता है तो तीसरे दिन ही पुजारी परिवार के प्रमुख सदस्य के साथ मृतात्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाने का कार्य संपन्न करता है। जिसे 'पेतरा' कहते हैं। इस दिन बकरे की बलि दिया जाता है। 'पेतरा' रस्म के पूर्ण होने के पश्चात भोज कराते हैं। संबंधी तथा ग्रामवासी परिवार जन या विधवा को दान स्वरूप कपड़ा, साड़ी, रूपये आदि भेंट करते हैं।

4.3.2 पेद्दा बिनाल

मृत्यु के ग्यारहवें दिन 'पेद्दा बिनाल' कार्यक्रम होता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर कई परिवार यदि तीन दिन में ही मृतक का अंतिम संस्कार न कर पाते हैं तो वे ग्यारहवें दिन अंतिम संस्कार की रस्म पूर्ण करते हैं। इस दिन शव को दफनाये गये स्थल पर ईंट का चबूतरा बनाते हैं। पुजारी परिवार के प्रमुख सदस्य के साथ मृतात्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाने का कार्य संपन्न करता है। जिसे 'पेतरा' कहते हैं। इस दिन बकरे की बलि दिया जाता है। 'पेतरा' रस्म के पूर्ण होने के पश्चात भोज कराते हैं। संबंधी तथा ग्रामवासी परिवार जन या विधवा को दान स्वरूप कपड़ा, साड़ी, रूपये आदि भेंट करते हैं। यदि किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार पूर्व में संपन्न नही किया गया है तो उस पूर्वज का अंतिम संस्कार भी एक साथ करते हैं।

****

अध्याय – 5

सामाजिक जीवन

दोरला जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है। इस कारण सामाजिक संरचना में अनेक समानतायें दिखाई देती हैं, किंतु कुछ भिन्नतायें भी पायी जाती हैं। प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाइयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करती हैं। इसमें जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक समूहों, इकाईयों, संस्था व व्यक्तियों द्वारा स्थितियों व भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। दोरला जनजाति की सामाजिक जीवन का विवेचना इस प्रकार है–

5.1. जनजाति

दोरला जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है। सर डब्ल्यू. वी. ग्रिगसन के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Maria Gonds of Bastar"(1938) के अनुसार "He refers to the lowlenders as calling themselves Doralu, from the Telugu honorific Dora or 'lord', and being called by the Telugus Koi Doralu."

................."The latter are known as Dorla, but this obviously a corruption of Dor Koitor, their lands being to the Bison-horn Marias of the Dantewada and Jagdalpur plateaux, Dorbhum or lowlands."

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण, कलकत्ता के मानवविज्ञानी डी. हाजरा ने "The Dorla of Bastar" (1970) ग्रंथ में दोरला जनजाति को चार भागों गुमिनोर, पार्मितोर, तोगुतोर तथा मान्नोतोर में विभाजित किया।

5.2. अर्धांश

दोरला जनजाति के संपूर्ण गोत्र दो भागों या अर्धांश 'दादाभाई' एवं 'अक्कोमामा' में विभक्त है। 'दादाभाई' दो शब्दों दोरली के दादा अर्थात् 'बड़ा भाई' एवं 'भाई' योग से बना है। 'अकोमामा' शब्द दोरली बोली के 'अक्को' एवं 'मामा' शब्दों से मिलकर बना है। 'अक्को' का तात्पर्य माता के पिता

अर्थात् नाना तथा अपनी पुत्री के पुत्र एवं पुत्री यानी नाती–नातिनों दोनों के लिए प्रयोग होता है, 'मामा' शब्द का अर्थ माता का भाई, पत्नी के पिता यानी ससुर तथा फुफा इन तीनों संबंधो में मामा शब्द प्रयोग होता है। अर्धाश में अनेक गोत्र शामिल होते हैं।

5.3. गोत्र

दोरला जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य स्वयं को एक आदि पूर्वज से उत्पन्न या संरक्षक मानते हैं। स्वगोत्रीय सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। दोरला जनजाति के गोत्र बहिर्विवाही प्रकृति के है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य मुख्य देव मानते हैं, जिसके 'जात्रा' अर्थात् वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा में गोत्र के सदस्य मुख्य देव/देवी स्थल में उपस्थित होते हैं। दोरला जनजाति के मुख्य गोत्र निम्नांकित हैं –

दोरला जनजाति के गोत्र

1. अंगनपल्ली	2. धनुरी	3. बड़ती	4. यालम	5. मड़े
6. एंजा	7. मट्टी	8. कोरसा	9. गोटे	10. पोयम
11. दुब्बा	12. कोर्राम	13. वलवा	14. क्षेपा	15. पुलसे
16. पालदेव	17. तलांडी	18. पेरेलो	19. आइंडी	20. कलेम
21. कुड़ियम	22. नेताम	23. ओयम	24. मरपिल्ले	25. तेलाम
26. मड़क	27. मड़कामी	28. कुंजाम	29. पायम	30. मड़वेल
31. आंदूड़ी	32. जवेर	33. दुरवालो	34. कुरसम	35. जव्वा

अध्ययन हेतु सर्वेक्षित दोरला परिवारों में पाये गये गोत्र का विवरण सारणी क्रमांक 5.1 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रमांक– 5.1

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में गोत्र का वितरण

क्र.	गोत्र	गोत्र चिन्ह	परिवार	
			संख्या	प्रतिशत
1.	अंगनपल्ली	जकोरपिट्टे पक्षी	8	16
2.	ककेम / कलेम	जकोरपिट्टे पक्षी	2	4
3.	कुरसम	जकोरपिट्टे पक्षी	7	14
4.	कोर्राम	जकोरपिट्टे पक्षी	6	12
5.	गोटे	कछुआ	2	4
6.	जव्वा	जकोरपिट्टे पक्षी	3	6
7.	पुलसे	साही	3	6
8.	दुब्बा	जकोरपिट्टे पक्षी	2	4
9.	यालम	गोही	15	30
10.	क्षेपा	गोही	2	4
योग			**50**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 30.00 प्रतिशत यालम गोत्र के हैं जबकि न्यूनतम 4–4 प्रतिशत ककेम / कलेम, गोटे, दुब्बा तथा क्षेपा गोत्र के हैं। सर्वेक्षित परिवारों में दस प्रकार के गोत्र पाये गये।

5.4. परिवार

परिवार, दोरला जनजाति की आधारभूत इकाई है। परिवार में एक साथ एक से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते है। जो सामान्यतः रक्त संबंधी होते है। कभी–कभी परिस्थितिवश विववाह संबंधी या दूर के संबंधी भी परिवार के साथ निवास करते हैं। परिवार में माता–पिता, विवाहित संतान इनके बच्चे,

अविवाहित संतान आदि रहते है। दोरला जनजति के परिवार को रचना के आधार पर एकल या केन्द्रीय संयुक्त एवं विस्तृत परिवार में विभाजित कर सकते है।

केन्द्रीय या एकल परिवार में पति–पत्नि तथा उनके अविवाहित संतान रहते है। यह एक/दो पीढ़ियों का परिवार है। सामान्यतः एकल परिवार में सदस्य संख्या दो से छह तक होती है। सामान्यतः यह संयुक्त परिवार में विघटन से निर्मित होता है। एक ही भू–खंड में पृथक आवास तथा पृथक रसोई रहने के कारण यह परिवार विस्तृत परिवार का भाग होता है।

संयुक्त परिवार में पति–पत्नी उनके विवाहित संतान उनके बच्चे, अविवाहित संतान आदि निवास करते हैं संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है। यह सामान्यतः 6 से 15 होती है। संयुक्त परिवार के आवास बड़े होते है, संयुक्त परिवार एकल तथा विस्तृत परिवार में विघटित होते है। दोरला जनजाति में संयुक्त परिवार की संख्या कम है।

दोरला जनजाति के विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार का परिवर्तित रूप है। इसमें विवाह तथा अन्य कारणों से संयुक्त परिवार विघटित हो जाते हैं तथा यह विघटित परिवार एक ही बड़े भूखण्ड में या थोड़ी दूर में अपने–अपने आवास का निर्माण कर निवास करते है। इन परिवारों में भोजन तथा निवास अलग–अलग होता है किंतु आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कृषि, पशुपालन, स्वामित्व के वृक्षों से संकलन कार्य, धार्मिक कार्य–त्यौहार आदि एक साथ ही किया जाता है।

दोरला जनजाति के परिवारों का विभिन्न आधार पर वर्गीकरण सारणी क्रमांक–5.2 में दर्शाया गया है–

सारणी क्रमांक–5.2

दोरला परिवार का वर्गीकरण

क.	आधार	प्रकार		
1.	संरचना	केन्द्रीय या एकल	संयुक्त	विस्तृत
2.	सत्ता	पितृसत्तात्मक	–	–
3.	वंश परंपरा	पितृवंशीय	–	–
4.	उत्तराधिकार	पितृाधिकार	–	–
5.	आवास	पितृस्थानीय	नवस्थानीय	–
6.	विवाह संख्या	एकल विवाही	बहुपत्नी विवाही	–

उपर्युक्त सारणी से दोरला परिवार की रचना स्पष्ट होती है। संरचना के आधार पर दोरला जनजाति में केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार होते हैं। परिवारों में मुखिया या सत्ता पुरूष के पास अर्थात् पितृसत्तात्मक होते हैं। दोरला परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। इन परिवारों में वंश पुरूष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। दोरला दम्पत्ति विवाह के पश्चात वर के पिता के आवास पर या नये आवास में निवास करते हैं। दोरला परिवार एकल विवाही तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

5.4.1. परिवार की संरचना

सर्वेक्षित दोरला परिवार की संरचना सारणी क्रमांक 5.3 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी क्रमांक—5.3

परिवार की संरचना

क्र.	प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	44	88.00
2	संयुक्त परिवार	6	12.00
योग		50	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित दोरला परिवार में 88.00 प्रतिशत परिवार एकल या केन्द्रीय परिवार तथा 12.00 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है।

5.4.2. परिवार का आकार

परिवार का आकार समुदाय के स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। सर्वेक्षित दोरला परिवार में सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के आकार का विवरण सारणी क्रमांक 5.4 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक 5.4

परिवार का आकार

क्र.	सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	2 या कम	5	10.00
2.	3 – 4	14	28.00
3.	5 – 6	19	38.00
4.	7 – 8	8	16.00
5.	9 – 10	3	6.00
6.	10 से अधिक	1	2.00
योग		50	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित दोरला परिवारों में सर्वाधिक 38.00 प्रतिशत परिवारों में 5–6 सदस्य है जबकि न्यूनतम 2.00 प्रतिशत परिवार में 10 से अधिक सदस्य हैं। सर्वेक्षित दोरला परिवारों में कुल 255 सदस्य हैं, इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में औसत प्रति परिवार सदस्य संख्या 5.1 या 5 है।

5.4.3. पारिवारिक सम्बन्ध

दोरला परिवार में माता–पिता, पति–पत्नी, पिता–पुत्र, पिता–पुत्री, भाई–बहिन आदि प्राथमिक व निकट संबंधी रहते हैं। परिवार के विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध को निम्नानुसार दर्शाया गया है–

1. माता–पिता

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात् माता–पिता बच्चे की देखभाल, पालन–पोषण, दैनिक तथा जीवन की शिंक्षा देते हैं। बच्चों के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात् माता–पिता बच्चों के गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होने तक उचित मार्गदर्शन देते हैं एवं निगरानी रखते हैं।

2. पति–पत्नी

दोरला जनजाति में पति–पत्नी का संबंध मधुर, प्रेमयुक्त तथा दायित्वपूर्ण होता है। पति–पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पति परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो पत्नी परिवार के दैनिक कार्यों, साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने के साथ–साथ कृषि, ईंधन, संकलन आदि कार्यों में सहयोग करती है। पति–पत्नी मिलकर माता–पिता तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल तथा सेवा–सुश्रुषा करते हैं।

3. पिता–पुत्र

पिता–पुत्र का संबंध स्नेह अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता किशोरावस्था से पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे– कृषि, पशुपालन, संकलन आदि कार्य में प्रशिक्षित करता है। पिता–पुत्र के प्रति आदर भाव रखता है। उनकी आज्ञापालन के साथ–साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पुत्र वृद्धावस्था में पिता की देखभाल करता है।

4. पिता–पुत्री

पिता–पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता–पुत्री में पिता–पुत्र की अपेक्षा अधिक स्नेह भाव रखता है। पिता किशोरावस्था से ही उसे भावी जीवन की शिक्षा देता है, विवाह के पश्चात् नये परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने की सीख देता है। पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य वर से उसका विवाह कर पुत्री के सुखी जीवन की कामना करता है।

5. माता–पुत्र

माता–पुत्र का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। माता का पुत्री की अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव व अधिक होता है। माता पुत्र का पालन–पोषण, देखभाल पूर्ण मनोयोग से करती है। माता पुत्र को समाज–परिवार के नियम, परम्पराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा पालन करता है। माता की देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

6. माता–पुत्री

माता–पुत्री का संबंध वात्सल्य पूर्ण होता है। माता पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू कार्य, सामाजिक–आर्थिक कार्य सिखाती है। माता पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने व सुखी जीवन हेतु शिक्षित करती है।

पुत्री–माता को आदर्श मानकर माता की शिक्षा को जीवन में अपनाने का प्रयास करती है। युवावस्था के पश्चात् माता–पुत्री के संबंध मित्रवत् हो जाते हैं। माता–पुत्री में विवाह के उपरांत विछोह का कष्ट सदैव रहता है किन्तु पुत्री के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूर्ति का सुख भी रहता है।

7. भाई–भाई

भाई–भाई के मध्य संबंध प्रेमपूर्ण तथा मित्रवत् होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह भाव रखता है। पारिवारिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ–साथ करते हैं। विवाहोपरांत अलग होने पर भी भाईयों में स्नेह बना रहता है। कुछ परिवारों में विवाहोपरांत तालमेल न होने एवं सम्पत्ति विवाद के कारण तनाव भी रहता है।

8. भाई–बहन

भाई–बहन का संबंध स्नेह पूर्ण होता है। भाई–बहन एक साथ खेलते–सीखते हैं। कई एकल परिवारों में माता–पिता आर्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बड़े भाई/बहन, छोटे भाई/बहनों का घर में देख रेख करते हैं। विवाह के पश्चात् भी भाई–बहन के संबंध यथावत् बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख–दुख की जानकारी लेते रहते हैं।

9. बहन–बहन

बहनों का आपसी संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को घेरलू कार्य सिखाती है तथा छोटी बहन बड़ी बहन के कार्यों में सहयोग करती है। बड़े होने पर विवाह के उपरांत भी बहनों में स्नेहभाव बना रहता है।

10. सास–बहू

सास–बहू का संबंध आदर–सम्मान, कर्त्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित है। सास अपनी बहु से आदर–सम्मान, पारिवारिक कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास–बहू में आपसी तालमेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। कई परिवारों में सास–बहू एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण आपसी संबंधी तनावपूर्ण हो जाते हैं।

11. ससुर–बहू

ससुर बहू के संबंध परिहार संबंध में आते हैं। बहु ससुर के मध्य कम वार्तालाप होता है। बहु ससूर का पिता तुल्य आदर–सम्मान करती है।

12. देवर–भाभी

देवर–भाभी का संबंध परिहास संबंध की श्रेणी के अंतर्गत है। देवर–भाभी के संबंध स्नेह पूर्ण तथा मित्रवत होते हैं।

13. ननद–भाभी

ननद भाभी का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। दोनों एक–दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। ननद के विवाह के पश्चात् ननद–भाभी के संबंध अधिक मधुर हो जाते हैं। कई परिवारों में ननद–भाभी के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति में पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है।

दोरला जनजाति में पारिवारिक संबंध मजबूत पाये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य एक–दूसरे के प्रति आदर–सम्मान व कर्त्तव्य का भाव रखता है। सर्वेक्षण के दौरान संयुक्त परिवार एवं विस्तृत परिवार की संख्या उपरोक्त धारणा को पुष्ट करते हैं।

5.5. नातेदारी

समाज में सदस्यों के मध्य पाये जाने वाले संबंधों को नातेदारी संबंध कहा जाता है। दोरला जनजाति में नातेदारी को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है –

5.5.1. नातेदारी प्रकार

दोरला जनजाति में नातेदारी सम्बन्ध दो प्रकार के हैं –

अ. रक्त संबंधी

रक्त संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे सदस्य शामिल हैं जो एक–दूसरे से रक्त सम्बन्ध के आधार पर संबंधित हो। जैसे– माता–पिता, माता–पिता व संतान, भाई–भाई, भाई–बहन आदि।

ब. विवाह संबंधी

विवाह संबंधी नातेदारी श्रेणी के अन्तर्गत विवाह के माध्यम से बने संबंधी आते हैं। विवाह संबंधी नातेदारी में पति–पत्नी, सास–ससुर, जीजा, साला आदि एक दूसरे से संबद्ध सदस्य तथा दोनों परिवार के सदस्य शामिल होते हैं।

5.5.2. नातेदारी श्रेणी

दोरला जनजाति में नातेदारी श्रेणी निम्न है –

अ. प्राथमिक सम्बंधी

दोरला जनजाति में प्राथमिक सम्बंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है जो प्रत्यक्ष रूप से एक–दूसरे से जुड़े हैं, जैसे– पति–पत्नी, पिता–पुत्र, भाई–भाई, बहन–बहन, भाई–बहन आदि।

ब. द्वितीयक सम्बंधी

दोरला जनजाति में द्वितीयक संबंधी से तात्पर्य ऐसे सम्बंधी से है जो किसी व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो। जैसे– चाचा एवं भतीजा एक दूसरे के द्वितीयक संबंधी होंगे क्योंकि चाचा का भाई अर्थात् लड़के का पिता आपस में प्राथमिक सम्बन्धी हैं उसी तरह पिता–पुत्र आपस में प्राथमिक सम्बन्धी हैं। अतः व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी होगा।

स. तृतीयक सम्बंधी

दोरला जनजाति में किसी व्यक्ति के द्वितीयक सम्बंधी का प्राथमिक सम्बंधी, व्यक्ति का तृतीयक सम्बंधी होता है।

5.5.3. नातेदारी रीतियाँ

दोरला जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य विशेष प्रकार की नातेदारी रीतियाँ या व्यवहार प्रचलित हैं, जो निम्न हैं –

अ. परिहास सम्बन्ध या निकटागमन

दोरला जनजाति में परिहास संबंध को "छुट्टम तोरेम" कहते हैं। परिहास सम्बन्ध में कुछ विवाह संबंधियों में हास–परिहास के कारण आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करने हेतु तथा भविष्य में विवाह की संभावना को भी दर्शाता है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। संबंधियों में यह मान्य है –

1. देवर – भाभी
2. जीजा – साली, साला
3. समधी – समधन
4. नाना–नानी – नाती–नातिन
5. दादा–दादी – नाती–नातिन

ब. परिहार संबंध या निकटाभिगन

दोरला जनजाति में परिहास संबंध के विपरीत "जियम" परिहार संबंध पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है। परिहार संबंध में संबंधियों में प्रत्यक्ष बातचीत नही किया जाता है या कम बातचीत किया जाता है। एक–दूसरे को स्पर्श करना वर्जित है। इन नियमों का अनिवार्य रूप से परिहार संबंधियों को पालन करना पड़ता है। दोरला जनजाति में परिहार संबंध इस प्रकार हैं –

1. जेठ – बहू
2. ससुर – बहू
3. सास – दामाद
4. दामाद – डेढ़सास

स. अन्तर्जातीय संबंध

दोरला जनजाति निवास क्षेत्र में गोंड, हल्बा, मुरिया, परधान, माड़िया, राउत, माहरा, लोहार, घसिया, कुन्बी, महार, कुम्हार आदि जाति–जनजाति निवासरत है। इन जातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। दोरला जनजाति दैनिक जीवन में मिट्टी के बर्तन हेतु कुम्हार, लौह कार्य हेतु लोहार आदि जनजातियों से पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। दोरला सदस्य कृषि मजदूरी के रूप में अंतः जातीय या अन्य जातियों को साथ कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रामों में विभिन्न जाति–जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते हैं तथा एक साथ पीढ़ी–दर–पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामंजस्य तथा सद्भाव पाया जाता है।

****

अध्याय – 6

आर्थिक जीवन

किसी भी समाज का आर्थिक कियाकलाप उसके जीवन यापन की विधि को प्रतिबिंबित करता है। जनजातीय समाज का आर्थिक जीवन पर्यावरण से संबंद्ध तथा प्रभावित होता है। दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित सुकमा तथा बीजापुर जिले के गहन वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। यह क्षेत्र पहाड़ी तथा वनयुक्त होने के कारण दोरला जनजाति के सदस्य बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। दोरला जनजाति के सदस्य संकलन, मछली मारना, पशुपालन, कृषि, मजदूरी आदि कार्यों में संलग्न है। दोरला जनजाति में उपरोक्त साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति किया जाता है।

6.1. सम्पत्ति

दोरला जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। दोरला जनजाति के परिवारों में आवश्यकतानुरूप संपत्ति पाया जाता है। दोरला जनजाति में संपत्ति संचयन की प्रवृत्ति का अभाव होता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। दोरला जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

6.1.1. सामूहिक सम्पत्ति

दोरला जनजाति में ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक–राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी–नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

6.1.2. पारिवारिक सम्पत्ति

दोरला जनजाति में परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

6.1.3. व्यक्तिगत सम्पत्ति

दोरला जनजाति में स्व–उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया अथवा प्राप्त वस्तुयें/सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें वाद्य यंत्र, आभूषण, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल आदि शामिल है।

6.2. सम्पत्ति हस्तांतरण

दोरला जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। दोरला जनजाति में ज्येष्ठाधिकार की प्रथा है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार का भावी मुखिया होने एवं पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी होने के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन में यदि माता–पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान बांटा जाता है।

6.3. प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय

दोरला जनजाति की अर्थव्यवस्था शिकार, संकलन, पशु–पालन, कृषि, मजदूरी आदि पर आधारित है। इस कारण दोरला जनजाति की आर्थिकी में एकाधिक पक्ष दिखाई देते हैं, जो मुख्यतः प्रकृति पर आधारित है। इसके सदस्यों की कार्यों में संलग्नता एवं आय की प्रमुखता के आधार पर व्यवसाय की प्राथमिकता को स्पष्ट किया जा सकता है।

6.4. आर्थिक संरचना

दोरला जनजाति की आर्थिक संरचना मनुष्य एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है, अर्थात् वनों में बसे दोरला ग्रामों की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है, वर्तमान में बाह्य सम्पर्क में वृद्धि के कारण नवीन आर्थिक स्त्रोतों का सृजन भी हुआ है। दोरला आर्थिक संगठन में लिंग–आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। दोरला जनजाति के आर्थिक संरचना का विवरण निम्न है–

6.4.1. कंदमूल एवं वनोपज संकलन

दोरला जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री–पुरूषों द्वारा किया जाता है। संकलन कार्य सुबह 3–5 घंटे किया जाता है। संकलन कार्य 'मर्सी' (कुल्हाड़ी), 'गप्पा' (टोकनी), सब्बल की सहायता से किया जाता है। दोरला सदस्य वन से कंदमूल, फल–फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन उपभोग तथा संकलन हेतु करते हैं।

दोरला जनजाति के सदस्य वर्षाकाल को छोड़कर लगभग पूरे वर्ष संकलन का कार्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं। वर्तमान में दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र हिंसा प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण अनेक साप्ताहिक बाजार बंद हो गये हैं, दूसरी ओर वनों में नक्सली या सुरक्षा बलों के आवाजाही के कारण वनोपज संकलन का कार्य प्रभावित हुआ है।

6.4.2 शिकार

दोरला जनजाति के आर्थिक संरचना में शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है। शिकार मांस प्राप्ति के साथ–साथ बहादुरी एवं सामूहिकता का परिचायक है। शिकार संकलन के साथ, 'पारदी' या वार्षिक सामूहिक शिकार तथा खाली समय में किया जाता है। वर्तमान में शिकार पर शासकीय प्रतिबंध होने, वनों में नक्सली या सुरक्षा बलों के दबाव के कारण अल्प प्रचलित है। शिकार हेतु तीर–धनुष, गुलेल, 'टंगिया' (कुल्हाड़ी), 'सब्बल', फरसा एवं अनेक प्रकार के जाल आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। दोरला जनजाति में शिकार में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

अ. एकल शिकार

दोरला जनजाति के सदस्य संकलन के साथ एकल शिकार करते हैं। वे ग्राम के समीप के वन में खरहा (खरगोश), पंडकी, लावा आदि पशु–पक्षियों का शिकार करते हैं। यह शिकार फसल कटने अर्थात् शीत ऋतु के प्रारंभ से गर्मियों तक किया जाता है। एकल शिकार हेतु गुलेल, तीर–धनुष, 'टंगिया' (कुल्हाड़ी) तथा अनेक प्रकार के जालों का प्रयोग करते हैं।

ब. सामूहिक शिकार

दोरला जनजाति के सदस्य गर्मियेां में 'विज्जा पंडुम' त्यौहार में वार्षिक सामूहिक शिकार करते हैं। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरूष सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जानवर को भगाकर शिकार करते थे। वर्तमान में सामूहिक शिकार परम्परा के रूप में निरंतर जारी है।

6.4.3. मत्स्य आखेट

दोरला जनजाति के स्त्री–पुरूष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी–नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। मछली मारने का कार्य दोपहर या शाम को किया जाता है। मछली मारने के लिये गरी–लाट, पेलना, जाल आदि का प्रयोग करते हैं। महिलायें गड़ढे या डबरा से पानी फेंककर मछली पकड़ती हैं।

सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है। दोरला सदस्य टेंगना, मोंगरी, खोक्सी, बाम्बी आदि मछलियों के साथ–साथ केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव का शिकार करते हैं।

6.4.4. कृषि

दोरला जनजाति की आर्थिक संरचना में कृषि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कृषि परिवार या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। दोरला अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। दोरला सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतों में तथा मरहान में अनाज, दालें तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। दोरला जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। दोरला जनजाति की कृषि पद्धति का विवरण निम्नांकित है :–

अ. भूमि

दोरला परिवार में भूमि का स्वामित्व–स्वर्जित या पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से प्राप्त है। दोरला निवास क्षेत्र में रेतीली भूरी लाल मिट्टी की अधिकता है। सर्वेक्षित परिवारों में उपरोक्त भूमि की धारिता को सारणी क्र. 6.3 में दर्शाया गया है :–

सारणी क्र.–6.3

दोरला परिवारों में भूमि धारिता

क्र.	भूमि धारिता	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिधारी	48	96.00
2.	भूमिहीन	2	4.00
	योग	**50**	**100.00**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित दोरला परिवारों में 96.00 प्रतिशत परिवारों में कृषि भूमि है, जबकि 4.00 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है।

दोरला जनजाति में भूमि धारकों की प्रतिशतता अधिक है, किन्तु ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है। उत्पादन में भिन्नता दिखाई देने का एक मुख्य कारण असमान कृषि भूमि का वितरण है। सर्वेक्षित परिवारों में भूमि धारिता का विवरण सारणी क्र. 6.4 में दर्शाया गया है –

सारणी क्र.–6.4

दोरला परिवारों में कृषि भूमि का वितरण

क्र.	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	परिवार		कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि/परिवार (एकड़ में)
		संख्या	संख्या		
1.	भूमिहीन	2	4.00	–	–
2.	3 एकड़ तक	21	42.00	35.00	1.67
3.	3–5	16	32.00	70.00	4.37
4.	5 से अधिक	11	22.00	118.00	10.73
	योग	50	100.00	223.00	4.46

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित दोरला परिवारों में सर्वाधिक 42.00 प्रतिशत परिवारों में 3 एकड़ तक तथा न्यूनतम 22.00 प्रतिशत परिवारों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि, 32.00 प्रतिशत परिवारों में 3–5 एकड़ तक कृषि भूमि है, 4 प्रतिशत परिवार भूमिहीन हैं। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में कुल 223.00 एकड़ कृषि भूमि पाया गया अर्थात् प्रति परिवार भूमि धारिता 4.46 एकड़ कृषि भूमि पाया गया।

6.4.5 फसल

दोरला जनजाति अनाज, दालें व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी दैनिक वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। धान, दोरला जनजाति का मुख्य उपज है, धान की पैदावार मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फसल कटने के पश्चात् गीले खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पश्चात् बैसाख माह से खेत की मरम्मत, मेड़ बनाने एवं जुताई का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात् उत्पादन वृद्धि के लिये गोबर खाद डालते हैं, पूर्व में खाद के लिये वन से सूखी पत्तियां या वृक्ष की शाखायें लाकर खेत में जला देते थे एवं राख को पूरे खेत में बिखेर देते थे। दोरला कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है अर्थात् परम्परागत हल–बैल, खाद विधि से ही कृषि किया जाता है।

दोरला जनजाति के सदस्य धान के साथ–साथ मक्का, मंडिया, कोसरा, सरसो, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं। जिसके उत्पादन में दोरला जनजाति के कृषक मई–जून से दिसंबर–जनवरी तक लगभग आठ माह संलग्न रहते हैं।

6.4.5 पशुपालन

पशुपालन दोरला जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मॉस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। दोरला परिवारों में गाय, बैल, बकरा–बकरी, भैस, भैसा, मुर्गी–मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है।

6.4.6 मजदूरी

दोरला जनजाति के सदस्य वन आधारित आर्थिक स्त्रोतों की कमी होने के कारण कृषि, निर्माण, पलायन कर अन्यत्र मजदूरी आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। दोरला जनजाति में मजदूरी के निम्न स्वरूप दिखाई देते हैं–

अ. दैनिक कृषि मजदूरी

दोरला जनजाति के सदस्य कृषि आधारित कार्यों अर्थात खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। स्त्री–पुरूष दोनों कृषि मजदूरी कार्य करते हैं। लेकिन मजदूरी दर में लिंगाधारित भिन्नता पाया जाता है, अर्थात् पुरूषों को 100–120 रूपये एवं स्त्रियों को 80–100 रूपये दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। दैनिक कृषि मजदूरी कार्य वर्ष में 20–40 दिन उपलब्ध होता है।

ब. शासकीय व अन्य मजदूरी

दोरला जनजाति सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, निर्माण कार्य में मजदूरी कार्य करते है। जिसमें शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम में या समीप के ग्राम में किये जा रहे प्रायवेट निर्माण कार्य में मजदूरी कार्य करते है। इन्हें वर्ष में लगभग 30–100 दिनों तक शासकीय मजदूरी कार्य उपलब्ध होता है।

स. पलायन मजदूरी

दोरला जनजाति के युवक–युवतियॉ रोजगार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, भिलाई क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों के शहरों में पलायन कर रोजगार हेतु जाते हैं। इन क्षेत्रों में लगभग चार से छह माह तक रोजगार कर वापस अपने गांवों में लौट जाते हैं।

6.4.7. नौकरी

दोरला जनजाति के कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक, शिक्षाकर्मी, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, चपरासी आदि पदों पर नौकरी करने लगे हैं। नौकरी के कारण दोरला परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

6.4.8. अन्य स्त्रोत

दोरला जनजाति के सदस्य स्व सहायता समूह, सहकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यो के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे है। दोरला जनजाति के अनेक परिवार के वृद्ध सदस्यों को पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। यह दोरला परिवारों के परम्परागत आर्थिक स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य आय के स्त्रोत है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्राप्त होता हैं।

6.4.9. वार्षिक आय

अ. समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

सर्वेक्षित दोरला परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को सारणी क. 6.6 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र.– 6.6

समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

क्र.	आय वर्ग (रू.में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	10000 से कम	3	6.00
2.	10000–15000	10	20.00
3.	15000–20000	8	16.00
4.	20000–25000	5	10.00
5.	25000–30000	9	18.00
6.	30000–35000	4	8.00
7.	35000–40000	2	4.00
8.	40000 से अधिक	9	18.00
	योग	50	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त स्त्रोतों से सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत परिवारों को 10000–15000 रूपये के मध्य वार्षिक आय पाया गया, जबकि न्यूनतम 4.00 प्रतिशत परिवारों को 35000–40000 रूपये के मध्य वार्षिक आय प्राप्त हुआ।

ब. वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

सर्वेक्षित दोरला परिवारों के प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों अंशधारिता को सारणी क्रमांक 6.7 में दर्शाया गया है –

सारणी क्र.–6.7

वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

क.	स्त्रोत	वार्षिक आय		संलग्न परिवार	प्रति परिवार
		रूपये	प्रतिशत		
1.	वनोपज	166350	9.26	49	3395
2.	पशुधन	118500	6.59	44	2693
3.	कृषि	412800	22.97	44	9382
4.	कृषि मजदूरी	91100	5.07	42	2169
5.	शासकीय तथा अन्य मजदूरी	170400	9.48	38	4484
6.	नौकरी	528000	29.38	7	75429
7.	अन्य	309800	17.24	10	3098
	योग	1796950	99.99	50	35939

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक आय में सर्वाधिक 29.38 प्रतिशत आय नौकरी से, 22.97 प्रतिशत कृषि से, अन्य साधनों से 17.24 प्रतिशत, शासकीय तथा अन्य मजदूरी से 9.48 प्रतिशत, कृषि मजदूरी से 5.07 प्रतिशत, वनोपज से 9.26 प्रतिशत तथा पशुधन से 6.59 प्रतिशत आय प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त आय के आधार पर प्रति परिवार वार्षिक आय 35939 रूपये तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 7046.86 रूपये है। उपरोक्त आय में सर्वाधिक 29.38 प्रतिशत आय नौकरी से प्राप्त है, जिसमें मात्र 7 परिवार संलग्न हैं। यदि इन परिवारों तथा इनकी आय को हटाकर शेष परिवारों के आय के आधार पर शेष 43 परिवारों की प्रति परिवार वार्षिक आय 29510.47 रूपये है।

6.4.10 ऋणगस्तता

दोरला जनजाति में पारिवारिक, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, पशु कय आदि कार्यो के लिये ऋण लेते हैं। ऋण के रूप में दोरलापरिवार धन, वस्तु, सामग्री तथा अनाज लेते है। यह ऋण संबंधियों, साहूकार, सहकारी संस्थाओं तथा बैंक से लेते है। सर्वेक्षित दोरला परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नांकित है –

अ. ऋण की स्थिति

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में ऋण की स्थिति को सारणी क्रमांक 6.8 में दर्शाया गया है –

सारणी क.– 6.8

ऋण की स्थिति

क.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	हॉ	12	24.00
2.	नही	38	76.00
	योग	50	100.00

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में से 24.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है जबकि 76.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण नहीं लिया अर्थात् लगभग एक चौथाई दोरला परिवार ऋणग्रस्त हैं।

ब. ऋण का उद्देश्य

दोरला जनजाति के सदस्य पारिवारिक, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, पशु कय आदि उद्देश्य से ऋण प्राप्त करते हैं। कभी–कभी ऋण रूपये के रूप में न होकर सामान, पशु आदि के रूप में भी होता है। सर्वेक्षित दोरला परिवारों में ऋण का उद्देश्य को सारणी क्रमांक 6.9 में दर्शाया गया है –

सारणी क.–6.9

ऋण का उद्देश्य

क.	ऋण उद्देश्य	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि कार्य	6	50.00
2.	पारिवारिक कार्य	3	25.00
3.	भूमि कार्य	1	8.33
4.	बैल क्रय	1	8.33
5.	अन्य	1	8.33
	योग	12	99.99

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50.00 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य हेतु तथा न्यूनतम 8.33–8.33 प्रतिशत परिवार भूमि कार्य, बैल क्रय तथा अन्य कार्य हेतु ऋण लिया है।

स. ऋण का स्त्रोत

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में ऋण का स्त्रोत को सारणी क्रमांक 6.10 में दर्शाया गया है –

सारणी क.–6.10

ऋण का स्त्रोत

क.	ऋण का स्त्रोत	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1.	बैंक	8	66.67
2.	साहूकार	1	8.33
3.	रिश्तेदार	3	25.00
	योग	12	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारो में से सर्वाधिक 66.67 प्रतिशत परिवारों ने बैंक से तथा न्यूनतम 8.33 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से एवं 25.00 प्रतिशत परिवारों ने रिश्तेदारों से ऋण लिया है।

****

अध्याय–7

धार्मिक जीवन

दोरला धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। दोरला अलौकिक या अधि मानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना, बलि के माध्यम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। दोरला जनजाति में धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक–आर्थिक, जीवन संस्कार में गुंथा हुआ है, यह सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने आवश्यक है। दोरला जनजाति के देवी–देवता निम्न है–

7.1. देवी–देवता

दोरला जनजाति के देवी–देवताओं का विवरण निम्न है–

7.1.1. गृह देवी–देवता

दोरला जनजाति में गृह देवी–देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसार नियत हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घर में तीन स्थल पर देवी देवता का वास मानते हैं :–

अ. पूजा कक्ष

दोरला सदस्य के आवास के अंदर के पूजा कक्ष को "देवघर" या "डूमाघर'' कहते हैं, जिसके एक किनारे में मिट्टी का चबूतरा बना होता है, जिसमें तीन देवी–देवताओं के प्रतीक के रूप में पहला, एक चाकू गाड़ते हैं, दूसरा, लकड़ी का खूंटा तथा तीसरा, मिट्टी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह परिवार के गृह तथा पूर्वज देवी–देवता होते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी–देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है।

7.1.2. गोत्र देव

दोरला परिवार गोत्र तथा विभिन्न संख्या में देव के अनुसार विभाजित हैं। दोरला जनजाति में दो देव, तीन देव, चार देव, पांच देव, छह देव तथा सात देव वाले परिवार पाये जाते हैं। मड़कामी, मट्टी, कुंजाम, ओयम, पायम, मड़वेल, पुलसे तथा तलांडी गोत्र के सदस्य सात देव परिवार में आते हैं। यालम गोत्र चार देव परिवार के अंतर्गत आते हैं। यालम गोत्र के चार देव निम्नांकित हैं–

1. परसोंगाल

2. पखमुरियाल

3. नीलपराज

4. लींगदारी

इन देवों का विशेष स्थान या ग्राम में मंडा या मंडप या मंदिर होता है। जिसमें मंडा देव या गोत्र देव का निवास होता है। जिसके जात्रा पूजा व 'करसाड़' में गोत्र के सदस्य उपस्थित होते हैं। जनवरी–फरवरी में जात्रा पूजा होता है तथा मई–जून में 'करसाड़' होता है। इस पूजा हेतु विभिन्न गोत्रों के कार्य विभाजित होते हैं। जिसका विवरण सारणी कमांक–7.1 में दिया गया है–

सारणी कमांक–7.1

गोत्र व कार्य विभाजन का विवरण

कमांक	गोत्र या कट्टा	कार्य
1.	पुजारी कट्टा	माता पूजा
2.	गायता कट्टा	देव को कंधे में लेना, भूमि पूजन का कार्य
3.	पेरमा कट्टा	भूमि पूजन का कार्य
4.	सोरला कट्टा	धान कूटने का कार्य
5.	वड्डे कट्टा	देव को कंधा देकर नचाने का कार्य
6.	भंडारी कट्टा	व्यवस्था कार्य
7.	दुरवा कट्टा	देव को बांधने के लिये सियाड़ी रस्सी बनाने का कार्य।

7.1.3. ग्राम देवी–देवता

ग्राम देवी–देवता के अंतर्गत वे देवी–देवता शामिल हैं, जिन्हें सभी दोरला परिवार पूजा अर्चना करते हैं। इन देवी–देवताओं को ग्राम के अन्य जनजातियाँ भी पूजा करते हैं। इन देवी–देवताओं को 'देवगुड़ी' या मंदिर में स्थापित किया जाता है।

दोरला जनजाति के ग्राम देवता/देवी को "गामम" तथा उनके मंदिर को "गामम गुड़ी" कहते हैं। "गामम गुड़ी" ग्राम के बाहरी क्षेत्र में स्थित होता है। गामम देवी की मूर्ति प्रत्येक तीन वर्ष में महुआ की लकड़ी से बनाते है। गामम देवी के प्रतीक को बदलने से पूर्व देवी की आराधना करते हैं, इस दौरान

जब पुजारी पर देवी की सवारी आती है तो देवी आदेश देती है कि इस वर्ष अमुक परिवार के सदस्य उनके प्रतीक को बनायेंगे। यदि एक से अधिक परिवार गामम देवी के प्रतीक को बनाने का प्रस्ताव रखते है तो ग्रामीण जन उनके प्रस्ताव की सत्यता की जॉच करते हैं। ग्रामीण जन प्रत्येक परिवार के नाम से एक–एक दिन सामूहिक शिकार 'वेटा' में जाते है, जिस परिवार के दिन वन में देवी के नाम से शिकार 'तोटा' मिलता है, उस परिवार को गामम देवी की प्रतिमा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है। यह कार्य प्राप्त होना परिवार के लिये सौभाग्य सूचक माना जाता है। इसके बाद परिवार के "अक्कोमामा" (विवाह संबंधी) पक्ष के लोग गामम देवी की मूर्ति बनाते हैं। पूजा का सामान देते है तथा प्रतिमा के निर्माण प्रारंभ से पूर्व ग्रामवासी पूजा करते है। इसमें लकडी व दो बांस लाते हैं। बांस व लकडी लाने के लिये जंगल में मुर्गी की बलि व पूजा करते है। वह जंगल से काष्ठ को साफ कर बनाकर कपड़े से ढककर लाता है। उन्हे बनाने के बदले शराब, मुर्गा रूपये चांवल कपड़ा आदि देते है। सभी ग्रामीण मिलकर देते हैं झोपड़ी नया बनाकर ग्राम देवी की स्थापना करते है।

किसी–किसी गॉव में पुराने मंदिर में ही मूर्ति स्थापित करते है, ग्राम देवी की पूजा महुआ बीनने का पर्व "इरक पंडुम" से गामम देवी का पूजा प्रारंभ होता है।

7.1.3. रियासत स्तर के देवी–देवता

दोरला जनजाति के सदस्य बस्तर राजा तथा स्थानीय जमींदारी की आराध्य देवी–देवता की पूजा करते हैं। दोरला जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी–देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी आदि की आराधना करते हैं।

7.2. प्रमुख त्यौहार

दोरला जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नांकित हैं–

अ. महुआ पंडुम या महुआ पकाने (बुर्री वड़पना) का त्यौहार –

महुआ पंडुम या महुआ पकाने (बुर्री वड़पना) का त्यौहार में ग्राम के सभी घर से महुआ एकट्ठा करते है। एकत्रित महुआ को ग्राम देवी के मंदिर में ले जाकर तीन हिस्से में विभाजित करते हैं, पहला भाग पुजारी के लिये, दूसरा भाग पेरमा के लिये तथा तीसरा भाग ग्रामवासियों के लिये होता है। सभी अपना भाग रख लेते हैं। ग्रामवासी का हिस्सा 'अक्कोमामा' अर्थात वैवाहिक गोत्र संबंधियों को देते है। जिसे वह तीन दिन में शराब बनाकर ग्रामवासियों को बताता है, सभी ग्राम देवी के मंदिर में इकट्ठा होते हैं, पेरमा तथा पुजारी ग्राम देवी की पूजा करते हैं व 'अक्कोमामा' का बनाया शराब ग्राम देवी को

चढ़ाते हैं। इसके बाद पेरमा, पुजारी तथा अक्कोमामा शराब पीते है व शेष ग्रामवासी पीते है, व खुशियॉ मनाते है।

ब. मरका पंडुम (नया आम खाने का त्यौहार)–

मरका अर्थात् आम, यह नया आम खाने का त्यौहार है। मरका पंडुम त्यौहार फरवरी–मार्च माह में महाशिवरात्रि के बाद शुक्ल पक्ष में मनाते है। मरका पंडुम त्यौहार मनाने के लिये प्रत्येक परिवार से 'कुटवा' (चंदा) एकत्र किया जाता है। त्यौहार के दिन ग्रामवासी 'गामम' (ग्राम देवी/देवता के मंदिर) में एकत्रित होते हैं। गायता तथा पेरमा (पुजारी) विधिपूर्वक पूजप कर नया आम 'गामम' (ग्राम देवी/देवता) को चढ़ाते है। आम को गुड–शक्कर के साथ मिला कर चढ़ाते है। ग्राम देवी के मंदिर के बाद आम को अन्य मंदिरों में देवी–देवता को समर्पित करते हैं। इसके बाद सभी मिलकर भोज करते हैं, व खुशियॉ मनाते है।

स. बीजपंडुम/विज्जा पंडुम–

बीज पंडुम/विज्जा पंडुम त्यौहार मई माह में मनाते हैं। ग्राम का 'पेरमा' (पुजारी) बीजपंडुम/विज्जा पंडुम मनाने की तिथि घोषित करता है। निर्धारित तिथि को ग्रामीण तीन दिनों तक सामूहिक शिकार पर जाते है। शिकार मिलने के बाद ग्राम के किनारे बनाये स्थल 'वेटा कारपा' में शिकार किये पशु को वृक्ष में या खंबे में टांग देते हैं। इसके बाद शिकार किये पशु के लिये 'गामम' (ग्राम देवी/देवता) में 'रकम' (पूजा पाठ) करते है, तत्पश्चात 'वेटा कारपा' में जाकर शिकार किये पशु को काटते है तथा मांस का छोटा सा टुकड़ा लाकर 'गामम' में चढ़ाते है। सभी ग्रामवासी 'वेटा कारपा' में शिकार को पकाकर भोज करते हैं। इसमें ग्राम के सभी जाति/जनजाति के सदस्य शामिल होते है।

इसके बाद प्रत्येक घर का जो व्यक्ति शिकार में शामिल हुआ था, वही व्यक्ति अपने घर से थोड़ा सा धान लेकर 'गामम' में जाता है, वहॉ पेरमा व गायता मिलकर 'गामम' (ग्राम देवी/देवता) की पूजा करते है। इस दिन परिवार के मुखिया उपवास रखते है।

'गामम' (ग्राम देवी/देवता) की पूजा के बाद पेरमा 'पेन माने' (देवान राजा, बंगा मुरियाल) अर्थात् कृषि भूमि के देवता की पूजा कर अंडा या मुर्गी या सूअर चढ़ाते हे।

इसके बाद गायता (माटी पुजारी) व पेरमा (पुजारी) अक्को मामा (विवाह संबंधी) के साथ मिलकर 'काई बीजा' अपने खेत में बीज लगाते हैं। उनके बाद ग्रामवासी अपने खेत में बीज लगाते हैं।

बीजा पंडुम के बाद खेत में बुने हुए किसी भी अनाज, दाल व सब्जियों को उससे संबंधित त्यौहार मनाने के पूर्व उपभोग निषेध है। गत वर्ष के पौधे का फल उपभोग सकते है। सेमी मक्का दाल जिर्रा आदि। यदि कोई व्यक्ति या परिवार त्यौहार के पूर्व नये अनाज, दाल या सब्जी का उपभोग कर लेता है तो उस व्यक्ति या परिवार को दंड स्वरूप त्यौहार के दिन मुर्गी का चूजा बलि के लिये 'गामम' में देना पड़ता है।

द. जिर्रा पंडुम–

जिर्रा पंडुम सितंबर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है, यह नये जिर्रा भाजी, छोटा कोसरा व नयी सब्जियां, फल देवी–देवता को अर्पित कर स्वयं उपभोग प्रारंभ करने का त्यौहार है। इस त्यौहार के दिन 'गामम' में पूजा कर मुर्गी बलि देते है तथा जिर्रा भाजी, छोटा कोसरा व नयी सब्जियां, फल को देवी को अर्पित करते हैं। गामम में पूजा के पश्चात प्रत्येक घर में परिवार का मुखिया कुटुम्ब देव की पूजा करते है। जिसमें दो देव, तीन देव, चार देव आदि तथा पूर्वज की पूजा करते है। यदि कोई परिवार चार देव की पूजा करता है तो परिवार का मुखिया देव की संख्या तथा एक पूर्वज देव कुल पॉच जगह जिर्रा व अन्य फल, सब्जियां रखकर पूजा करते हैं। पूजा के उपरांत सभी मिलकर भोज करते हैं, व खुशियॉ मनाते है।

इ. कोडता पंडुम (नया खाने का त्यौहार)

कोडता पंडुम (नया खाने का त्यौहार) दशहरा के पूर्व मनाया जाता है। इसमें नया धान, मक्का, ककड़ी, लौकी आदि गामम देवी तथा ग्राम के अन्य देवी–देवता को चढ़ाते है। इस त्यौहार में दशहरा के पहले दिन ग्राम वासियों की उपस्थिति में गामम देवी में गायता पूजा करता है तथा नये धान का चांवल चढ़ाता हैं। दशहरा के दिन ग्राम वासियों की उपस्थिति में पुजारी, ग्राम मूर्ति देवी की पूजा करता है तथा नये धान का चांवल चढ़ाता हैं।

इस दिन घर में परिवार का मुखिया उपवास रहता है तथा सुबह स्नान कर खेत से थोड़ा सा नया धान लेकर आता है व कुटुम्ब देव, पूर्वज देव तथा नये धान की पूजा करते है। नये धान की पूजा कर भूंजते है तथा कुछ पकवान बनाकर अर्पित करते हैं। घर के बाहर देव के लिये मुर्गी बच्चे की बलि देते है। इस पूजा में परिवार जन एकत्र होते है, पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण कर वरिष्ठों का आशीर्वाद लेते हैं व भोजन करते हैं।

फ. जात्रा–

जात्रा पर्व जनवरी–फरवरी माह में मनाया जाता है। यह देवी की आराधना हेतु मनाया जाने वाला तीन दिवसीय पर्व है। इस पर्व को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस पर्व को मनाने से पूर्व परगना या समीपस्थ 20–30 ग्राम के देवी–देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। प्रतिवर्ष इस पर्व को मनाने के एक–दो दिन पूर्व देवी की पूजा कर प्रार्थना किया जाता है कि इस वर्ष ग्राम में रोग व संकट न आये, इस प्रार्थना के साथ लकड़ी के नये पीढ़ा में नये कंद जैसे शक्कर कंद, केला, सब्जी आदि अर्पित कर 'पीढ़ा पठाने' का रस्म करते हैं। अर्पित करने के पश्चात सामग्रियों को मंदिर से दूर ले जाकर मार्ग के किनारे पीढ़ा सहित कंद सब्जी छोड देते हैं, इस रस्म को 'पीढ़म पनात' या 'पीढ़ा पठाना' कहते है।

जात्रा के दिन विभिन्न ग्रामों से आमंत्रित किये गये देवी–देवता अपने छत्र, लाट, बैरम, डोली आदि अलंकरण के साथ आते हैं। जात्रा के प्रथम दिन ग्राम देवी की पूजा तथा बलि होता है तथा दूसरे व तीसरे दिन बाजार का आयोजन किया जाता है। जात्रा हेतु ग्राम के प्रति परिवार से निश्चित चंदा एकत्र किया जाता है, जिसका व्यय आयोजन के विभिन्न कार्यों में किया जाता है।

ग. रिक्का पंडुम (नया सेमी खाने का त्यौहार)

यह नया सेम, दाल खाने का त्यौहार है। यह त्यौहार दिसंबर–जनवरी माह में मानते है। इसमें नये सेमी दाल को गामम व मूर्ति देवी में चढ़ाते है। घर में भी पूजा करते है। प्रसाद वितरण करते है। यह जात्रा से पूर्व होता है।

ह. कोड्डी पंडुम (धान का त्यौहार)

यह जनवरी में होता है। इसमें घान की मिंजाई पूर्व होने के बाद कोड्डी (बांस की टोकनी) में प्रति परिवार धान लेकर ग्रामम में जाते है जहॉ पूरे धान को एकत्र कर तीन हिस्सा बनाते है। एक हिस्सा पेरया,दूसरा गायता तथा तीसरा हिस्सा ग्राम वासियों का होत है। ग्राम वासी इसे विभिन्न त्यौहार में भोज के लिये उपभोग करते है। जबकि गायता व परेमा अथवा हिस्सा घर ले जाते है। पहले परमा गायता धान की की पूजा कर देवी को चढ़ाते है अंडा मुर्गी चूजा चढ़ाते हैं। पहले प्रति घर से एक मूर्गी चूजा देते थे वर्तमान में पूरे ग्राम की ओर से एक मुर्गी चूजा चढ़ाया जाता है।

ई. बुनतिरथम पंडुम

इसमें सभी परिवार के मुखिया उपवास रहते है। ग्राम के गायता पेरमा छोटे गामम को लेकर ग्राम से बाहर आदेन वृक्ष के नीचे जाते है। छोटे गायम की मूर्ति को रखकर पूजा करते है। मुर्गी चढ़ाते है यहॉ सभी के लिये भोजन बनाते है। पूजा कर भोजन कर आते है। यह पूरे ग्राम भूमि के पूजा का त्यौहार है। यह जात्रा के बाद होता है। सभी परिवार के मुखिया की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्रामवासी के हिस्से के धान को कुटकर बनाते है। शराब पीते है।

7.3. आत्मा

दोरला धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् दोरला आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सदैव जीवित रहती है और अलग–अलग शरीर के माध्यम से उनका परिवार के सदस्य या अन्य रूपों में पुनर्जन्म होता है या वे पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करती हैं।

दोरला परिवार में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर 'डूमाघर' (पूजा कक्ष) में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार परिवार में बच्चे के जन्म होने पर नामकरण के पूर्व अनेक विधियों से उस बच्चे के पूर्व जन्म का नाम तथा पूर्वज को ज्ञात किया जाता है।

7.4. भूत–प्रेत

दोरला जनजाति मे मान्यता हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक, दुर्घटनावश, आयु पूर्ण होने से पूर्व मृत्यु हो जाते हैं या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है या मृत्यु के स्थान पर वास करने लगता है। जो कोई भी उसके सम्पर्क में आता है आत्मा उसे तंग करता है। इसी कारण दोरला समाज में इस प्रकार से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अलग प्रक्रिया है, जिससे यदि संभव हो तो आत्मा मुक्त हो जाये। दोरला सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत, प्रेत आदि नामों से जानते हैं।

भूत–प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति असामान्य हरकतें करता है। गर्भवती व नवजात शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शरीर सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में बचाव के लिये दोरला सदस्य 'पुजारी', 'सिरहा' की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति को प्रभाव मुक्त करता है।

7.5. जादू–टोना

दोरला क्षेत्र में जादू–टोना का प्रचलन है। जादू–टोना करने वाले व्यक्ति विभिन्न साधना के माध्यम से अति मानवीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर विरोधियों के अहित करने का प्रयास करते हैं। जादू–टोना करने वाले पुरूष को 'टोनहा' स्त्रियों को 'टोनही' या 'टोनहिन' कहते हैं। 'टोनहा' तथा 'टोनही' अपने जादू के माध्यम से दूसरे को तंग करते हैं, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव मुक्त होने के लिये दोरला सदस्य 'पुजारी', 'सिरहा' की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है।

7.6. विभिन्न धर्म का प्रभाव

दोरला धार्मिक जीवन में अन्य समाजों से सम्पर्क का गहन प्रभाव दिखाई देता है। दोरला जनजाति के साथ ग्राम में ब्राम्हण, राउत, माहरा, पनिका, घसिया, लोहार, महार, कुन्बी आदि जातियॉ तथा गोंड, मुरिया, माड़िया, परधान आदि जनजातियाँ निवास करने के कारण एक–दूसरे के देवी–देवता, त्यौहार विधि को अंगीकृत कर चुके हैं। दोरला निवास क्षेत्र में गायत्री परिवार कार्यरत हैं, जिसके कारण धार्मिक जीवन में हिन्दु धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में इसाई मिशनरी का भी काफी प्रभाव है, जिसके कारण अनेक दोरला परिवार इसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। कुछ ग्रामों में एक संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य आदिम धर्म का पालन कर रहे हैं तथा कुछ सदस्य इसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक आयोजनों तथा धार्मिक जीवन में परिवर्तन आने लगा है। दोरला समाज के कुछ सदस्यों द्वारा अन्य धर्म के रीति–रिवाज अंगीकृत करने के कारण विवाह, मृत्यु संस्कार, ग्राम देवी–देवताओं का उत्सव आदि के कार्यक्रमों में विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी है।

****

अध्याय – 8

परिवर्तन एवं समस्याएँ

दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र सुकमा तथा बीजापुर क्षेत्र नक्सल अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण पिछड़ा हुआ है। सुकमा तथा बीजापुर जिला गठन होने के कारण तथा सुरक्षा बलों के प्रभाव के कारण विकासीय प्रक्रिया में तेजी आयी है तथा परिवर्तन हुआ है। दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में नक्सलियों के विरूद्ध 'सलवा जुडूम' नामक अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप हुई हिंसा के कारण बड़ी संख्या में दोरला परिवारों को अपने मूल निवास ग्राम को छोड़कर शिविरों में निवास करना पड़ा, जो वर्तमान में उनके स्थायी निवास के रूप में परिवर्तित हो गया है। वर्तमान में दोरला जनजाति में शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य सम्पर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिससे दोरला जनजाति की जीवन शैली, रहन–सहन में परिवर्तन हो रहा है। दोरला जनजाति के जीवन में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है–

8.1. परिवर्तन–

8.1.1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

(i) ग्राम– दोरला ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। कुछ ग्राम में सीमेंट सड़कें, नालियाँ, स्कूल भवन, हैंडपम्प, पाइप लाइन द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकान, पक्के सामुदायिक भवन आदि का सुव्यवस्थित विकास हुआ है।

सलवा जुडूम के कारण स्थापित किये गये शिविरों को धीरे–धीरे स्थायी बसाहट का स्वरूप दिया गया है जिसमें निवासियों के लिये मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ सीमेंट सड़क के दोनों ओर लाइन से आवास का निर्माण किया गया है। इन बसाहटों में सुरक्षा के कारण सभी जनजाति–समुदाय के परिवारों को एक ही स्थान पर बसाया गया है।

(ii) आवास– दोरला ग्रामों में परंपरागत आवास के साथ–साथ कुछ नवीन शैली के अर्ध पक्के तथा पक्के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास के निर्माण हेतु कच्ची या पक्की ईंट, सीमेंट, सीमेंट या स्टील की शीट, रेत, बड़ी खिड़कियों का उपयोग करने लगे हैं। कुछ दोरला घरों में शौचालय, पक्के फर्श तथा प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था भी करने लगे हैं। घरों की पुताई हेतु चूने के साथ रंग, डिस्टेम्पर, पेंट का प्रयोग भी करने लगे हैं।

(iii) दैनिक उपयोगी वस्तुएं– दोरला परिवारों में आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। दोरला सदस्य शीतकाल में ऊनी कपडे, जैकेट, शाल, ग्रीष्मकाल में टोपी, गमछा, धूप चश्मा तथा वर्षाकाल में छाता, रैनकाट, जूते, चप्पल, आदि का उपयोग करने लगे हैं। घर मे प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक कुर्सियाँ, दीवाल घड़ी, रेडियो, टीवी, डिश, मोबाइल, पंखा आदि का उपयोग दोरला जनजाति की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

(iv) रसोई की वस्तुएं– दोरला जनजाति के रसोई में भोजन बनाने हेतु मिट्टी के बर्तनों तथा भोजन करने के लिए दोना–पत्तल का उपयोग किया जाता था। वर्तमान मे दोरला जनजाति के पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ–साथ एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, कांसा के बर्तनों का उपयोग भी करने लगे हैं।

(v) वस्त्र विन्यास एवं साज–श्रृंगार– दोरला जनजाति के सदस्य शारीरिक स्वच्छता में दाँतों की सफाई हेतु दातौन के स्थान पर टूथब्रश व मंजन/पेस्ट, स्नान हेतु साबुन, कपड़े धोने हेतु साबुन या वाशिंग पावडर तथा बाल नाई से कटाने लगे है। वे स्नान के पश्चात् श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पावडर, बिंदिया, फीता, क्लीप का उपयोग करते है। दोरला जनजाति के स्त्री–पुरूष वस्त्रों में जींस, टी–शर्ट, पैजामा कुर्ता, बरमुडा, सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि का उपयोग करने लगे हैं।

(vi) आर्थिक कार्यों से संबंधित वस्तुएं– दोरला जनजाति के सदस्य कृषि हेतु हल–बैल के साथ–साथ ट्रैक्टर, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, आधुनिक कीटनाशक तथा कीटनाशक यंत्र का उपयोग करने लगे है। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या मे कमी आयी है।

(vii) आवागमन के साधन – दोरला जनजाति के सदस्य सायकल, मोटर सायकल, ट्रेक्टर, बस, जीप आदि का उपयोग आवागमन तथा परिवहन के साधन के रूप में करने लगे हैं।

8.1.2. जीवन संस्कार में परिवर्तन–

(i) प्रसव कार्य– दोरला जनजाति में प्रसव कार्य पारंपारिक दाई के द्वारा घरों में किया जाता था किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई, मितानिन या नर्स की देखरेख में प्रसव कराया जाता है। संस्थागत प्रसव पर मिलने वाले आर्थिक लाभ के कारण अस्पताल में होने वाले प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ii) नामकरण– नवजात बच्चों के नामकरण में आधुनिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है।

(iii) पोषण व टीकाकरण– वर्तमान में आंगनबांडी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण दोरला जनजाति के माता व शिशु के पोषण, टीकाकरण की स्थिति मे सुधार हो रहा है।

(iv) विवाह आयु– पूर्व में दोरला समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा थी, वर्तमान में विवाह आयु मे वृद्धि हुई है।

(v) अंतर्जातीय विवाह– दोरला जनजाति परिवारों को शिविरों या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में पलायन करने के कारण अन्य जातियों, जनजातियों के साथ निवास करना पड़ा, जिससे अंतर्जातीय विवाह में वृद्धि हुई है।

(vi) उपहार का स्वरूप– दोरला समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में दिये जाने वाले 'भेंट' (उपहार) के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में दोरला समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे है।

8.1.3. सामाजिक जीवन में परिवर्तन –

(i) **सामाजिक जीवन में परिवर्तन**– दोरला जनजाति के ग्राम में दोरला परिवारों की बहुलता होती है या उनके निवास का पृथक मुहल्ला होता है। हिंसा के कारण बड़ी संख्या में दोरला परिवारों को अपने मूल निवास ग्राम को छोड़कर शिविरों में निवास करना पड़ा। नये स्थान में अन्य जातियों, जनजातियों के साथ निवास के कारण दोरला जनजाति के सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन में परिवतन हो रहा है।

(ii) **पलायन**– दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में हिंसा के कारण तथा रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोगों ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य में पलायन किया है।

(iii) **हिंसा के कारण सहज जीवन में परिवर्तन**— दोरला जनजाति समाज सरल एवं सहज जीवन जीने वाला समुदाय है किंतु हिंसा के कारण दोरला जनजाति समाज की सरलता एवं सहजता लुप्त होने लगी है।

(iv) **संयुक्त परिवार का विघटन**— दोरला जनजाति में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है किन्तु वर्तमान में आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

(v) **नियमों में परिवर्तन**— अन्तर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से दोरला जनजाति में यात्रा, निवास, खान—पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया है।

8.1.4. आर्थिक जीवन मे परिवर्तन —

(i) **अर्थव्यवस्था में परिवर्तन**— दोरला जनजाति की अर्थव्यवस्था में गैर शासकीय एवं शासकीय मजदूरी, व्यवसाय तथा शासकीय सेवा के रूप मे नये आर्थिक कार्यो का सृजन हुआ है।

(ii) **कृषि में नवीन तकनीकों का समावेश**— कृषि क्षेत्र में परम्परागत कृषि के साथ—साथ नवीन तकनीकों जैसे—उर्वरक, कीटनाशक, उड़ावनी पंखा, सिंचाई, ट्रेक्टर आदि तकनीकों का समावेश हुआ है। जिससे फसल उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है।

(iii) **संस्थागत ऋण**— दोरला जनजाति में कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय आदि पारिवारिक आवश्यकता हेतु संस्थागत ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है।

8.1.5. राजनैतिक जीवन में परिवर्तन—

दोरला जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत का प्रभाव सीमित हो गया है। अति संवेदनशील नक्सली क्षेत्र में निवास होने के कारण जनजातीय समाज के परम्परागत पंचायत विवाह संबंधी तथा कुछ विशेष मामलों का ही निपटारा करती है। परम्परागत जनजाति पंचायत में स्त्रियों की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नही था किन्तु वर्तमान में आधुनिक पंचायत में स्त्रियाँ विभिन्न पदों पद आसीन है तथा ग्राम सभा में भाग लेतीं हैं किंतु अधिक प्रभावशाली नही हैं।

8.1.6. धार्मिक जीवन में परिवर्तन–

दोरला जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक भाक्ति के विश्वास पर आधारित है। वे अपने प्राचीन रीति–रिवाजों के अनुसार पूजा अनुष्ठान का निर्वहन करते है। वर्तमान में हिन्दु जनजातियों के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दु देवी–देवताओं की पूजा तथा व्रत त्यौहार मनाने लगे है जिससे दोरला धार्मिक जीवन में हिन्दु धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में इसाई मिशनरी का भी काफी प्रभाव है, जिसके कारण अनेक दोरला परिवार इसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। कुछ ग्रामों में एक संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य आदिम धर्म का पालन कर रहे हैं तथा कुछ सदस्य इसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक आयोजनों तथा धार्मिक जीवन में परिवर्तन आने लगा है।

8.1.7. नृत्य संगीत मे परिवर्तन –

दोरला जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु लोक गीत–संगीत का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। इसके स्थान पर फिल्मी गीत–संगीत, साउंड सिस्टम, टेलीविजन, सीडी प्लेयर का प्रचलन बढ़ रही है। युवा वर्ग की रूचि लोक गीत–संगीत पर कम हो रही है।

8.1. 8. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन–

दोरला जनजाति मे शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिका शिक्षा की दर कम थी जिसमे सुधार हो रहा है। पूर्व में दोरला बालक प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते थे किंतु आश्रमशालाओं की स्थापना होने के कारण तथा शैक्षणिक सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

8.2. समस्याएँ

दोरला जनजाति की समस्याएं निम्न हैं–

8.2.1. सामाजिक समस्याएँ

(i) **अंधविश्वास**– दोरला जनजाति में अंधविश्वास एवं पुरानी विचारधारा का दबाव अधिक है। नये विचार या नवाचार की स्वीकार्यता विलंब से प्राप्त होती है।

(ii) **नशे की आदत**– दोरला जनजाति के सदस्यों में नशे की लत सामाजिक विकास में बाधक है। दोरला स्त्री–पुंरूषों द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब, लांदा तथा ताड़ी रस, छिंद रस का सेवन किया जाता है। जो स्वास्थ्य के साथ–साथ आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप में भी नुकसान दायक है।

8.2.2. आर्थिक समस्याएँ

(i) परिवार का विघटन तथा भूमि का बंटवारा– दोरला परिवारों की कृषि भूमि असिंचित, पारम्परिक पद्धति पर आधारित एक फसली है। परिवार के विघटन तथा भूमि के बंटवारे के कारण प्रत्येक परिवार के पास अपर्याप्त कृषि भूमि होती है। जिसमें उत्पादित फसल वर्ष भर हेतु अपर्याप्त होता है।

(ii) बेरोजगारी– दोरला परिवारों के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार के अवसर अपलब्ध न होने के कारण बेरोजगार रहते है। भाासकीय निर्माण कार्यो में भी कुछ दिन ही रोजगार मिल पाता है।

(iii) गरीबी व ऋणग्रस्तता– दोरला परिवारों की आय अपर्याप्त होने के कारण गरीबी व्याप्त है तथा जीवन संस्कार, कृषि, रोगग्रस्तता में अधिक व्यय होने के कारण ऋणग्रस्तता भी बनी रहती है।

8.2.3. शैक्षणिक समस्याएँ

दोरला जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित है। स्त्री साक्षरता दर दयनीय है। दोरला शिक्षा ग्रहण करना समय की बर्बादी तथा आर्थिक नुकसान मानते है। इसी कारण बालकों को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् कृषि संबंधी कार्यो में तथा बालिकाओं को घर व छोटे भाई बहनों की देखभाल में संलग्न कर देते है।

8.2.4. स्वास्थ्य समस्याएँ

(i) **भ्रांतियां तथा अंधविश्वास**– दोरला जनजाति में स्वास्थ्य संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। वे रोगग्रस्त होने की स्थिति में झाड़–फूक एवं देशी इलाज को ही प्राथमिकता देते हैं।

(ii) अपर्याप्त चिकित्सा सेवाऍं– दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र सुकमा तथा बीजापुर क्षेत्र अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र होने के कारण पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नही है। बाहरी चिकित्सक इन क्षेत्रों में सेवाएं नही देना चाहते हैं। इन क्षेत्र में अप्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा उपचार किया जाता है। अयोग्य व्यक्ति के हाथों उपचार करवाकर स्वास्थ्य हानि एवं आर्थिक शोषण का शिकार बनते है।

(iii) **घर पर प्रसव**– दोरला परिवारों में प्रसव घर पर ही अप्रशिक्षित पारंपारिक दाई 'सुईन' से करवाते हैं जिससे जच्चा–बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है।

****

अध्याय–9

निष्कर्ष

दोरला जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित सुकमा जिले के दक्षिण भाग से बीजापुर जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में निवास करती है। दोरला जनजाति, गोंड (कोयतोर) जनजाति की उपजाति है। दोरला जनजाति स्वयं को 'कोया' मानते है। रियासत काल में 'कोया' जाति समुदाय के मुखिया को 'दोरा' कहते थे, इसी से कोया जनजाति के समूह को 'दोरा कोया' कहने लगे, जो कालांतर में जाति सूचक नाम 'दोरला' में परिवर्तित हो गया। कोंटा क्षेत्र में दोरला जनजाति को 'दोर्रा कोया' या 'दोर्रा कोयर' कहते है जबकि बीजापुर क्षेत्र में 'कोया' या 'कोयर' के नाम से जाना जाता है।

सर डब्ल्यू. वी. ग्रिगसन(1938) के ग्रंथ "माड़िया गोंड्स ऑफ बस्तर" के अनुसार 'दोरला' शब्द की व्युत्पत्ति 'दोर कोयतोर' से हुई है। दोरला जनजाति का निवास क्षेत्र उड़ीसा तथा आंध्रप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। दोरला जनजाति की संस्कृति में तेलंगाना प्रदेश की संस्कृति का अधिक प्रभाव तथा उड़ीसा राज्य की संस्कृति का अल्प प्रभाव दिखाई देता है।

दोरला जनजाति के सदस्य दोरली बोली का प्रयोग करते हैं। दोरला जनजाति की वर्तमान में पृथक जनसंख्या अनुपलब्ध है। 1941 के जनगणना के अनुसार दोरला जनजाति की जनसंख्या 14605 थी। 1941 के जनगणना के पश्चात दोरला जनजाति की जनसंख्या गोंड जनजाति के साथ सम्मिलित रूप से किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा तथा बीजापुर जिले के दोरला जनजाति बहुल ग्रामों किया गया। बीजापुर जिले के बीजापुर तहसील के चिन्नाकवाली ग्राम का चयन कर जनगणना विधि से परिवार अनुसूची पूर्ण किया गया। सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों का संकलन हेतु सुकमा जिले के कोंटा तहसील के इंजरम व एर्राबोर ग्राम तथा बीजापुर जिले के बीजापुर तहसील के चिन्नाकवाली व बोरजे ग्राम कुल चार ग्रामों में निवासरत दोरला सदस्यों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।

सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या में से 47.84 (122) प्रतिशत पुरूष तथा 52.16(133) प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है। सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 24.71 प्रतिशत जनसंख्या 6–14 उम्र वर्ग के हैं जबकि न्यूनतम 3.14 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र समूह के हैं। सर्वेक्षित दोरला जनजाति परिवारों

में लिंगानुपात 1090 पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 54.90 प्रतिशत है। जिसमें 66.39 प्रतिशत पुरूष तथा 44.36 प्रतिशत स्त्रियॉ साक्षर हैं।

दोरला जनजाति की अधिकांश जनसंख्या छत्तीसगढ़ राज्य के सुदूर, पहुच विहीन तथा अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र में निवास करती है। दोरला जनजाति के ग्राम सामान्यतः नदी–नाला एवं वन के समीप बसा होता है। दोरला ग्रामों की बनावट दीर्घवृत्तीय या मुख्यमार्ग के दोनों ओर चौकोर आकार मे हैं। वर्तमान में अनेक दोरला जनजाति के ग्रामों को अपने मूल स्थानों से विस्थापित होकर सलवा जुडुम कैम्प में निवास करना पड़ रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थापित कैम्प स्थायी बसाहट का स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं।

दोरला जनजाति में 'डोकर मंदे' (मासिक चक्र) रूकने से गर्भधारण का ज्ञान होता है। दोरला जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर के परछी या कमरे में ग्राम की दो–तीन जानकार स्त्रियों 'मंतर सानी' (दाई) से करवाते हैं। पूर्व में नाल काटने के लिये 'मज्जा कसेर' (चाकू) या 'कांडी' (तीर) का उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिये ब्लेड का उपयोग किया जा रहा है। नाल झड़ने के बाद 'पुरूड' छठी संस्कार करते है।

दोरला जनजाति में शिशु जन्म के तीन माह के बाद 'मुंडन संस्कार' होता है। दोरला जनजाति में 5–6 वर्ष की आयु की कन्या का 'मुख कोटाना'(नाक–कान छेदना) संस्कार होता है। दोरला जनजाति में 12–13 वर्ष की आयु की कन्या का प्रथम मासिक चक्र आने पर 'काला गोकू' नामक संस्कार होता है।

दोरला समाज में विवाह हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है तथा 'खरचा' वधू मूल्य देय होता है। वर्तमान में दोरला समाज में लड़कों का विवाह 20–22 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 18–19 वर्ष की आयु में किया जाता है। दोरला समाज में एकल तथा बहुपत्नी विवाह होते हैं। दोरला समाज में जीवन साथी चयन हेतु छुट्टम पेनली (मंगनी विवाह), इलेटाम पेनली (परीवीक्षा विवाह), लगन पेनली (परीक्षा विवाह), मारपम पेनली (विनिमय विवाह), बापत पेनली (पलायन विवाह), हरण विवाह एवं कच्छिन तांडकी पेनली (पुनर्विवाह) विधियॉ प्रचलित हैं।

दोरला जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता माना जाता है। दोरला जनजाति में मृत्यु होने पर दफनाया शव को दफनाया जाता है, कुछ शव दाह भी किया जाता है। माता के प्रकोप तथा छह वर्ष से बच्चे को दफनाया जाता है। दोरला जनजाति का पृथक श्मसान होता है। शव यात्रा में स्त्री–पुरूष शामिल होते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन 'चिन्ना बिनाल' तथा ग्यारहवें दिन 'पेद्दा बिनाल' कार्यक्रम होता है। इस दिन 'मोट कुसोर' रस्म करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति के अनुसार यदि तीन दिन या ग्यारहवें तिथि को मृतक का अंतिम संस्कार करते हैं इस दिन पुजारी परिवार के प्रमुख सदस्य के साथ मृतात्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाने का कार्य 'पेतरा' संपन्न करता है। 'पेद्दा बिनाल' के दिन शव को दफनाये गये स्थल पर ईंट का चबूतरा बनाते हैं।

दोरला जनजाति, गोंड जनजाति की उपजाति है। दोरला जनजाति के संपूर्ण गोत्र दो भागों या अर्धाश 'दादाभाई' एवं 'अक्कोमामा' में विभक्त है। प्रत्येक अर्धांश गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक–दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य मुख्य देव मानता है। सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 30.00 प्रतिशत यालम गोत्र के हैं जबकि न्यूनतम 4–4 प्रतिशत ककेम/कलेम, गोटे, दुब्बा तथा क्षेपा गोत्र के हैं। सर्वेक्षित परिवारों में दस प्रकार के गोत्र पाये गये।

परिवार, दोरला जनजाति की आधारभूत इकाई है। सर्वेक्षित दोरला परिवार में 88.00 प्रतिशत परिवार एकल या केन्द्रीय परिवार तथा 12.00 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है। सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 38.00 प्रतिशत परिवारों में 5–6 सदस्य है जबकि न्यूनतम 2.00 प्रतिशत परिवार में 10 से अधिक सदस्य हैं। सर्वेक्षित दोरला जनजाति में प्रति परिवार सदस्य संख्या 5 पायी गयी।

दोरला जनजाति के सदस्य बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। दोरला आर्थिक संगठन में लिंग–आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। दोरला जनजाति के सदस्य कंदमूल एवं वनोपज संकलन, मछली मारना, पशुपालन, कृषि, मजदूरी आदि कार्यों में संलग्न है।

सर्वेक्षित 96.00 प्रतिशत दोरला परिवारों में कृषि भूमि है, जबकि 4.00 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। सर्वेक्षित दोरला परिवारों में सर्वाधिक 42.00 प्रतिशत परिवारों में 3 एकड़ तक तथा न्यूनतम 22.00 प्रतिशत परिवारों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। प्रति परिवार भूमि धारिता 4.46 एकड़ कृषि भूमि पाया गया।

सर्वेक्षित दोरला परिवारों में समस्त स्त्रोतों से सर्वाधिक 20.00 प्रतिशत परिवारों को 10000–15000 रूपये के मध्य वार्षिक आय पाया गया, जबकि न्यूनतम 4.00 प्रतिशत परिवारों को 35000–40000 रूपये के मध्य वार्षिक आय प्राप्त हुआ।

सर्वेक्षित परिवारों में प्राप्त आय के आधार पर प्रति परिवार वार्षिक आय 35939 रूपये तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 7046.86 रूपये है। उपरोक्त आय में सर्वाधिक 29.38 प्रतिशत आय नौकरी से प्राप्त है, जिसमें मात्र 7 परिवार के सदस्य संलग्न हैं। यदि नौकरी से प्राप्त आय को हटाकर परिवारों के आय के गणना किया जाय तो प्रति परिवार वार्षिक आय 25379 रूपये है।

सर्वेक्षित परिवारों में से 24.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है जबकि 76.00 प्रतिशत परिवारों ने ऋण नहीं लिया। ऋणग्रस्त परिवारों में सर्वाधिक 50.00 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य हेतु तथा न्यूनतम 8.33–8.33 प्रतिशत परिवार भूमि कार्य, बैल क्रय तथा अन्य कार्य हेतु ऋण लिया है।

दोरला धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। दोरला जनजाति में गृह देवी–देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसार नियत हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घर में पूजा कक्ष "देवघर" या "डूमाघर" में तीन देवी देवता का वास मानते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी–देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है। दोरला परिवार गोत्र तथा विभिन्न संख्या में देव के अनुसार विभाजित हैं। दोरला जनजाति में दो देव, तीन देव, चार देव, पांच देव, छह देव तथा सात देव वाले परिवार पाये जाते हैं।

दोरला जनजाति के ग्राम देवता/देवी को "गामम" तथा उनके मंदिर को "गामम गुड़ी" कहते हैं। "गामम गुड़ी" ग्राम के बाहरी क्षेत्र में स्थित होता है। गामम देवी की मूर्ति प्रत्येक तीन वर्ष में महुआ की लकड़ी से बनाते है। दोरला जनजाति के सदस्य बस्तर राजा तथा स्थानीय जमींदारी की आराध्य देवी–देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी आदि की आराधना करते हैं।

दोरला जनजाति के प्रमुख त्यौहार महुआ पंडुम या महुआ पकाने (बुर्री वड़पना) त्यौहार, मरका पंडुम त्यौहार, बीज पंडुम/विज्जा पंडुम त्यौहार, जिर्रा पंडुम, कोडता पंडुम (नया खाने का त्यौहार) तथा जात्रा पर्व, रिक्का पंडुम (नया सेमी खाने का त्यौहार), कोड्डी पंडुम (धान का त्यौहार), बुनतिरथम पंडुम मनाया जाता है।

दोरला धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् दोरला आत्मा में विश्वास करते हैं। दोरला जनजाति के सदस्य जादू–टोना में विश्वास करते हैं।

दोरला धार्मिक जीवन में अन्य समाजों से सम्पर्क का गहन प्रभाव दिखाई देता है। दोरला निवास क्षेत्र में गायत्री परिवार कार्यरत हैं, जिसके कारण धार्मिक जीवन में हिन्दु धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है। दोरला जनजाति के निवास क्षेत्र में इसाई मिशनरी का भी प्रभाव है, जिसके कारण अनेक दोरला परिवार इसाई धर्म ग्रहण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में धार्मिक आयोजनों तथा धार्मिक जीवन में परिवर्तन आने लगा है।

****